



**न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
एम०पी०/एम०एल०ए०, कक्ष सं०-19 सुलतानपुर।**

उपस्थित:- शुभम वर्मा(उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O.Code-UP2106

फौजदारी वाद संख्या-1858/2026

C.N.R.No.-UPST040240952018

अभियोजन/परिवादी	विजय मिश्रा
विद्वान अधिवक्ता का नाम	श्री संतोष कुमार पाण्डेय
अभियुक्त का नाम व पता	राहुल गाँधी पुत्र स्व० राजीव गाँधी निवासी-5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली, थाना-तुगलक रोड, जनपद- नई दिल्ली एन०सी०आर०।
विद्वान अधिवक्ता का नाम	श्री काशी प्रसाद शुक्ल, मो० सहबेज

मूल फौ०वा०सं०-	1943/2018
अन्तर्गत धारा	500 भारतीय दण्ड संहिता
थाना	कोतवाली देहात
जिला	सुलतानपुर

घटना की तिथि	08.05.2018
परिवाद दर्ज होने की तिथि	04.08.2018
तलबी की तिथि	27.11.2023
बयान मुल्जिम विरचन की तिथि	26.07.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	09.10.2024
निर्णय संरक्षित करने की तिथि	13.10.2026
निर्णय की तिथि	26.10.2026

परिवादी साक्षी/कोर्ट साक्षी की सूची

क्रम सं०	साक्षी संख्या	साक्षी नाम
1.	पी०डब्लू०-1	विजय मिश्रा (परिवादी)
2.	पी०डब्लू०-2	अनिल कुमार मिश्र
3.	पी०डब्लू०-3	राम चन्द्र दूबे

परिवादी साक्ष्य/कोर्ट साक्ष्य की सूची

क्रम सं०	प्रदर्श	प्रपत्र	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1.	वस्तु प्रदर्श क-1	सी०डी० कैसेट	विजय मिश्रा (परिवादी)

निर्णय

1- प्रस्तुत परिवाद परिवादी विजय मिश्रा द्वारा अभियुक्त राहुल गाँधी के विरुद्ध अभिकथित लांछन के बावत् संस्थित किया गया है।

2- संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी भारतीय जनता पार्टी (इसके बाद भाजपा के रूप में संदर्भित) का एक वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में उक्त पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का पद संभाल रहा है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ-साथ देश में भी सत्तारूढ़ पार्टी है। परिवादी, श्री अमित अनिलचंद्र शाह, जिन्हें आमतौर पर अमित भाई शाह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नाम से जाना जाता है, का राजनीतिक अनुयायी और अनुचर है। सत्तारूढ़ भाजपा और विशेष रूप से श्री अमित भाई शाह के साथ परिवादी के भाईचारे की सीमा इस हद तक है कि परिवादी की पहचान को ही समाज और जनता द्वारा श्री अमित भाई शाह की प्रतिष्ठा के अभिन्न अंग के रूप में माना और जाना जाता है। परिवादी की प्रतिष्ठा सत्तारूढ़ भाजपा और विशेष रूप से श्री अमित भाई शाह की प्रतिष्ठा के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि सत्तारूढ़ भाजपा और विशेष रूप से श्री अमित भाई शाह की प्रतिष्ठा में कोई भी कमी वास्तव में परिवादी की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता संसद सदस्य और पार्टी अध्यक्ष है, जो एक पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी है। उक्त पार्टी कथित तौर पर भारत की संसद में प्रमुख विपक्षी दल है। प्रतिवादी एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया वेबसाइट twitter.com पर एक सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी का प्रासंगिक ट्विटर हैंडल/अकाउंट यहां है <http://twitter.com/rahulganhi?lang=en>. पर है। उक्त सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रतिवादी लगातार अपने विचारों का प्रचार कर रहा है, जो निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है और सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ है। जब से प्रतिवादी का राजनीतिक दल वर्ष 2014 में लोकसभा आम चुनाव हार गया, तब से प्रतिवादी सत्तारूढ़ दल भाजपा और श्री अमित भाई शाह की कड़ी आलोचना कर रहा है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में चुनावों के मद्देनजर, प्रतिवादी ने अपनी पार्टी के चुनाव अभियान को गति देने के लिए एक सुविचारित, योजनागत और रूपांकित किए गए प्रयास में एक निंदनीय शुरुआत की तथा अपने कर्नाटक चुनाव अभियान के दौरान बेंगलूरु में एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस में दिनांक 08.05.2018 को परिवादी के नेता श्री अमित भाई शाह और परिवादी को राजनीतिक दल यानी भाजपा के विरुद्ध यह कहते हुए कि 'श्री अमित

भाई शाह एक हत्या के आरोपी हैं, कई झूठे आरोप लगाए। उपरोक्त उल्लिखित प्रेस-कॉन्फ्रेंस का वीडियो फुटेज/क्लिप <https://www.youtube.com/watch?v=ZRzROLh80FE> पर उपलब्ध है। प्रतिवादी के उक्त कथन/कथन का उद्धरण कई इंटरनेट समाचार वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया है। उक्त प्रेस-कॉन्फ्रेंस में प्रतिवादी/अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार कहा-

"Amit Shah has been accused of murder. The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case, so I don't think Amit Shah has a lot of credibility. Let's look into his background. Let's see what he is responsible for? Let's see how he does politics **and also don't forget that he is a murder accused. This is fundamental. People of India forget that the President of the BJP is a murder accused. That's the truth.** The Party that talks about honesty, decency, has a person who is a accused of murder and he is President." प्रतिवादी द्वारा उक्त बयान यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह झूठा है, जानबूझकर दिया गया था। उपरोक्त कथन की तिथि पर, श्री अमित भाई शाह सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले में आरोपी नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 19/ 2018 में अपने विस्तृत आदेश और निर्णय दिनांक 19.04.2018 के माध्यम से, उक्त तथ्य पर विस्तार से चर्चा की थी और जहां तक न्यायमूर्ति लोया के दुःखद निधन का संबंध था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी सामग्री से संकेत मिलता है कि न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। अदालत के पास मौत के कारण या परिस्थितियों के बारे में युक्ति-युक्त संदेह को मानने का कोई आधार नहीं है, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता होगी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उक्त निर्णय प्रतिवादी द्वारा मानहानिकारक बयान दिए जाने से एक महीने पहले पारित किया गया था और यह व्यापक सार्वजनिक बहस का विषय था, जिसमें प्रतिवादी और/या उसकी पार्टी सदस्य/आधिकारिक प्रवक्ता भी शामिल थी। उक्त निर्णय अपनी व्याख्या के साथ दिनांक 19.04.2018 से हमेशा इंटरनेट/सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध था और आरोपी प्रतिवादी की जानकारी में था। इस प्रकार, यह सार्वजनिक ज्ञान का विषय था कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान की तिथि पर श्री अमित भाई शाह न तो उनके खिलाफ लंबित किसी मामले में आरोपी थे और न ही स्वर्गीय श्री न्यायमूर्ति लोया की मृत्यु का श्री अमित भाई शाह या बीजेपी के साथ कोई संबंध था। आरोपी/प्रतिवादी को भी उक्त फैसले और उसमें चर्चा किए गए तथ्यों के बारे में अच्छी तरह से पता था क्योंकि वह उसी के बारे में ड्वीट/बोल रहा था।

हालाँकि, दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रतिवादी ने गलत धारणा उत्पन्न करने व राजनीतिक लाभ में श्री अमित भाई शाह और भाजपा को बदनाम करने के लिए बी० एच० लोया की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को श्री अमित भाई शाह के साथ जोड़ा कि वह दिवंगत न्यायाधीश बी.एच. लोया की मौत के मामले में आरोपी है। प्रतिवादी ने दुर्भावना से परिवादी के नेता और उसके राजनीतिक दल की गरिमा को कम करने के लिए जानबूझकर गलत बयान दिया कि श्री अमित भाई शाह "हत्या के आरोपी है और वह अध्यक्ष हैं" उक्त कथन आरोपी/प्रतिवादी द्वारा बार-बार श्री अमित भाई शाह और परिवादी की पार्टी के खिलाफ जानबूझकर झूठ फैलाने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और अतिरिक्त राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जनता की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हो सके। उपरोक्त कथन प्रेस के समक्ष दिया गया है और जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, जिसमें झूठे निराधार और मानहानिकारक आरोप शामिल हैं, जो श्री अमित भाई शाह, भाजपा और परिवादी जैसे पदाधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। दिनांक 15.07.2018 को समय लगभग 11:00 बजे परिवादी के दो शुभचिंतक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री केश कुमार निवासी कपिसा मिश्र का पुरवा, जुडारा का पुरवा, थाना-कोतवाली देहात, जिला-सुल्तानपुर तथा अनुरुद्ध शुक्ला पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम-सेमरी पुरुषोत्तमपुर (शुकुल का पुरवा), थाना-कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर ने प्रतिवादी की उक्त प्रेस-कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखने के बाद परिवादी से उसके उपरोक्त आवास पर संपर्क किया और उसका विरोध किया। उन्होंने परिवादी के उस राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़े होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, जिसका अध्यक्ष एक हत्या का आरोपी है। उन्होंने एक हत्या के आरोपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की भाजपा की कथित कार्रवाई की भी निंदा की। उपरोक्त व्यक्तियों ने श्री अमित भाई शाह और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े होने के कारण परिवादी के प्रति घृणा व्यक्त की। परिवादी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उक्त व्यक्ति आश्चस्त नहीं हो सके कि प्रतिवादी द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और दुर्भावनापूर्ण है। उक्त घटना के साक्षी श्री राम चन्द्र दूबे पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र दूबे निवासी ग्राम-अहिरौली वाजुपुर, तहसील-लम्भुआ, थाना-कोतवाली देहात, जिला-सुलतानपुर और श्री अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्री राजकुमार मिश्रा, निवासी ग्राम-पीताम्बरपुर, पोस्ट-लोहरामऊ, तहसील-सदर, थाना-कोतवाली देहात, जिला-सुलतानपुर है, जो उपरोक्त घटना के समय परिवादी के घर पर उपस्थित थे। उपरोक्त घटना से परिवादी को यह एहसास हुआ कि प्रतिवादी के उपरोक्त बयान ने दूसरों के अनुमान में परिवादी के नैतिक चरित्र को कम कर दिया है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो फुटेज अभी भी इंटरनेट पर www.Youtube.com पर देखने के लिए उपलब्ध है और बयान का उद्धरण कई

समाचार वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। परिवादी हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के बारे में चिंतित रहा है और उसने हमेशा अपने प्रत्येक कार्य में अत्यंत ईमानदारी और निष्ठा के साथ आचरण किया है। प्रतिवादी द्वारा दिए गए झूठे असत्य, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान/कथन (जबकि उसे पूरी तरह से पता था कि ऐसे सभी बयान/आरोप पूरी तरह से आधारहीन और झूठे हैं) भी राजनीति से प्रेरित है और इससे परिवादी की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से अपरिवर्तनीय तरीके से गंभीर क्षति हुई है। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर की गई झूठी बातें, जिसमें परिवादी के संगठन के नेता और परिवादी के राजनीतिक दल के खिलाफ हत्या के गंभीर अपराध के झूठे, आधारहीन, निंदनीय, दुर्भावनापूर्ण आरोप शामिल हैं। परिवादी एक पदाधिकारी है और प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस माननीय न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। प्रतिवादी आरोपी ने परिवादी के नेता, परिवादी की राजनीतिक पार्टी जिसका परिवादी पदाधिकारी है, के विरुद्ध सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण, धिनौने झूठे और मानहानिकारक बयान/आरोप लगाए/प्रकाशित किए और इस तरह परिवादी की पहचान और प्रतिष्ठा को उसके नेता और पार्टी से अलग या स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता है।

3- परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्षीगण पी०डब्लू०01-राम चन्द्र, पी०डब्लू०02- अनिल कुमार मिश्रा व पी०डब्लू०03-अनुरुद्ध कुमार शुक्ल के बयान अन्तर्गत धारा-202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2023 को अभियुक्त राहुल गाँधी को धारा-500 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विचारण हेतु तलब किया गया।

4- अभियुक्त द्वारा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी जमानत करायी गयी।

5- साक्ष्य के आधार पर दिनांक 26.07.2024 को अभियुक्त राहुल गाँधी के विरुद्ध बयान मुल्जिम/आरोप अन्तर्गत धारा-500 भारतीय दण्ड संहिता में विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की माँग की।

6- परिवादी द्वारा अपने परिवाद-पत्र के समर्थन में पी०डब्लू०01 के रूप में विजय मिश्रा स्वयं को तथा पी०डब्लू०02 के रूप में अनिल कुमार मिश्रा व पी०डब्लू० 3 के रूप में राम चन्द्र दूबे को परीक्षित कराया गया है।

7- तदुपरांत, अभियुक्त राहुल गाँधी का बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 20.02.2026 को अंकित किया गया। अपने बयान में अभियुक्त ने परिवाद

पत्र के कथानक से इंकार किया तथा बयान को तोड़-मड़ोरकर संदर्भ से अन्यथा प्रस्तुत किये जाने एवं किसी भी व्यक्ति की मानहानि न किये जाने के आशय का कथन किया है।

8- जहाँ तक प्रस्तुत परिवाद में कथित घटना का प्रश्न है तो साक्षी पी०डब्लू० 1- विजय मिश्रा जो प्रस्तुत प्रकरण का परिवादी है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 15.07.2018 की समय लगभग 11:00 बजे दिन की मेरे घर की है। मैं घर पर मौजूद था, मुझसे मिलने रामचंद्र दुबे व अनिल कुमार मिश्रा आये हुये थे, उसी समय दिनेश कुमार मिश्रा पुत्र केस कुमार मिश्रा निवासी राम कपिसा मिश्र का पुरवा मजरे जुडारा व अनुरुद्ध कुमार निवासी सेमरी पुरुषोत्तमपुर, थाना-कोतवाली देहात, जिला-सुल्तानपुर भी आ गये। अनुरुद्ध व दिनेश ने मुझसे कहा कि आप जिस पार्टी के 28 वर्षों से कार्यकर्ता हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को हत्यारा कहा जा रहा है। आप ऐसी नकारा पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग भी इस पार्टी में अब नहीं रहेंगे, आप भी ऐसी पार्टी छोड़ दीजिये। यह कहते हुए दिनेश कुमार व अनुरुद्ध कुमार ने काफी अपमानित किया और एक वीडियो फुटेज अनुरुद्ध व दिनेश ने दिखाया, जिसमें राहुल गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में हत्या के अभियुक्त कह रहे थे। राहुल गांधी ऐसा वक्तव्य दे रहे थे, मैंने अपनी आंख से देखा था। अमित शाह जी हत्या के अभियुक्त नहीं हैं, राहुल गांधी जी द्वारा उस वीडियो में गलत बयान दिया जा रहा था, इससे मैं व मेरी पार्टी की साख को काफी धक्का लगा। मेरी मानहानि हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखता हूँ। राहुल गांधी जिस वीडियो में अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बता रहे थे, वह वीडियो दिनांक 08 मई 2018 का बेंगलुरु के प्रेस-कॉन्फ्रेंस का था। उस वीडियो को मैं पुनः दोबारा मोबाइल में देखा। उस रात को मैं काफी दुखी हुआ, अपमानित महसूस किया, कई दिन तक मैंने भोजन नहीं किया व अपने को अपमानित महसूस किया। मैंने थाने पर वह जरिए रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक साहब को सूचना दिया। कार्यवाही नहीं होने पर मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया, जो वीडियो मैंने मोबाइल में देखा था, उसकी सी०डी० कैसेट मैंने पत्रावली में दाखिल किया है, जिस पर वस्तु प्रदर्श क-1 डाला गया है, जिससे संबंधित प्रमाण-पत्र मैं आज माननीय न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ। सी०डी० कैसेट व प्रमाण पत्र कि मैं पुष्टि करता हूँ।

9- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं मूल निवासी कपिसा मिश्र का पुरवा मजरे जुडारा, थाना-कोतवाली देहात का हूँ। प्राथमिक शिक्षा मैंने जुडारा से ही प्राप्त किया, एक से पाँच तक। मेरे पिता जी पाँच भाई थे। मेरे पिता के सगे भाई रमाकांत थे। रमाकांत के लड़के केश कुमार मिश्रा, जिनके लड़के दिनेश कुमार मिश्रा हैं, जो इस मुकदमे के गवाह हैं। मेरे

मुकदमे के गवाह अनुरुद्ध कुमार ग्राम-सेमरी पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले हैं, जो मेरे घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। यह कहना गलत है कि अनुरुद्ध कुमार मेरे रिश्तेदार हैं। गवाह रामचंद्र दूबे ग्राम-मलिकपुर के रहने वाले हैं। यह मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अनिल कुमार मिश्रा गवाह ग्राम-पीताम्बरपुर के रहने वाले हैं, इनका घर मेरे घर से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कहना गलत है कि रामचंद्र दूबे व अनिल कुमार मिश्रा गवाह मेरे रिश्तेदार हैं। जिस दिन की घटना है, उस दिन मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था, इत्तेफाकन मिलने आए थे। मैं सन्तराम तिवारी सुत जगदीश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम-धरियामऊ, थाना-लंभुआ, जिला-सुल्तानपुर को मैं जानता हूँ। मैं इनको कितने दिन से जानता हूँ, हमको याद नहीं है। यह सही है कि मैं व उपरोक्त सन्तराम तिवारी ने विजय ढाबा स्थित सौरमऊ में पयागीपुर के लोगों की प्रेम शंकर, देव शंकर, विजय शंकर आदि से इकरारनामे पर जमीन अरसा पूर्व लिया था। कितना पूर्व लिया था, याद नहीं है। यह सही है कि सन्तराम तिवारी उपरोक्त द्वारा मेरे व प्रेम शंकर, देव शंकर, विजय शंकर, श्री भगवान, छोटेलाल व मीरा देवी के विरुद्ध अपराध संख्या-54/2008, अंतर्गत धारा-419, 420, 467, 468, 469 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जरिये अदालत दर्ज करायी है। मुझे नहीं मालूम है कि सन्तराम तिवारी ने उस मुकदमे में मेरे व अन्य उपरोक्त के खिलाफ यह आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है कि मैं सन्तराम तिवारी की जगह पर अन्य व्यक्ति को खड़ा करके सन्तराम तिवारी के इकरारनामे की जमीन को भी फर्जी बैनामा करा दिया। यह सही है कि उपरोक्त मामले में थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा मेरे व मुन्नालाल तथा कौशलेन्द्र प्रताप मिश्रा के विरुद्ध आरोप-पत्र उपरोक्त धाराओं में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया व वह मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। मैं नितेश सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी ग्राम-चौकिया, थाना-लंभुआ को नहीं जानता हूँ और मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि यह वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत अधिकारी भदैया में तैनात थे। यह सही है कि नितेश सिंह उपरोक्त द्वारा मेरे व किरन सिंह निवासी जदौपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-231/2023, धारा-332, 353, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। यह घटना झूठी थी, इसमें एफ०आर० लग गया। यह सही है कि प्रमोद पाण्डेय निवासी अभियाकला की रिपोर्ट पर मेरे व अशोक सिंह निवासी हनुमानगंज तथा बब्लू उर्फ धर्मेन्द्र सिंह निवासी भपटा के विरुद्ध 307 भारतीय दंड संहिता का मुकदमा थाना-कोतवाली देहात में कायम कराया था, जो खत्म हो गया है। मुझे नहीं याद है क्योंकि पचीसों साल हो गया कि सुनील तिवारी निवासी लालगंज खानपुर, जिला जौनपुर की रिपोर्ट पर मेरे व देवी तिवारी निवासी भपटा के विरुद्ध मुकदमा 323, 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था।

यह मामला 25 वर्ष पुराना है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई थी, कितने साल पहले हुई, काफी लंबा समय हो गया, मुझे याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता के विरुद्ध मदनलाल कसौधन सुत भिखई उर्फ भीखनलाल की हत्या के बावत् एवं डकैती करने के संबंध में 396 भारतीय दंड संहिता का मुकदमा कायम हुआ था अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि मैं उपरोक्त तथ्यों को जानता हूँ और जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ। यह सही है कि मैं 2003 वर्ष में पयागीपुर में मकान बनाया है। मुझे याद नहीं है कि सन्तराम तिवारी द्वारा दर्ज करायी गयी एफ०आई०आर० में मैंने अपने बयान में अपना पता पयागीपुर, थाना-कोतवाली नगर का बताया था। हमको नहीं पता कि पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में मेरे पयागीपुर, थाना-कोतवाली नगर के पते पर आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। पयागीपुर वाले मकान का वहाँ की वोटर लिस्ट में मेरा व मेरे परिवार का नाम दर्ज है। यह कब से दर्ज है, यह नहीं पता, लेकिन दर्ज है। पयागीपुर में भी मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। बजरंग नगर हनुमानगंज वाला मकान का वहाँ की वोटर लिस्ट में मेरा नाम दर्ज है। इस समय दर्ज है या नहीं हमें नहीं पता। दिनेश कुमार, अनुरुद्ध कुमार, रामचंद्र व अनिल कुमार चारों भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं इस समय भाजपा में ही हूँ। ये चारों लोग भी इस समय भाजपा में हैं। शादी-विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रमों में इन लोगों का मेरे यहाँ व मेरा इन लोगों के यहां आना-जाना रहता है। भाजपा पदाधिकारीगण व खुर्द जवार व समाज में मांगलिक आदि कार्यक्रमों में सभी के यहाँ मेरा व उन सभी का मेरे यहाँ आना-जाना पूर्वत् बरकरार है। वीडियो दिनांक 08.05.2018 का बेंगलोर के प्रेस-कॉन्फ्रेंस का था। यह मेरे बयान अंतर्गत धारा-200 दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है। राहुल गांधी ने अपना भाषण किस दिन दिया था, यह मुझे नहीं ज्ञात है। बेंगलुरु में किस जगह का कॉन्फ्रेंस था, मैं नहीं बता सकता, जो वीडियो दिनेश कुमार व अनुरुद्ध कुमार ने दिखाया था, वही वीडियो मैंने देखा था, इसके अलावा इसके पूर्व कोई वीडियो मैंने नहीं देखा था। यह सही है कि जब प्रेस-कॉन्फ्रेंस माननीय राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु में की जा रही थी, तब मैं वहां मौजूद नहीं था। यह सही है कि इस वीडियो में मेरे बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह प्रेस-कॉन्फ्रेंस हिंदी भाषा में ही था। प्रेस-कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गयी, उसका पूरा शब्द बता सकता हूँ। दिनेश व अनुरुद्ध ने जो विज्ञप्ति का वीडियो मुझे दिखाया था, उन लोगों ने वह वीडियो मेरे मोबाइल में फॉरवर्ड किया था और वही मैंने अपनी मोबाइल से सी०डी० बनवा के अदालत में दाखिल किया है। अमित शाह का पूरा नाम अमित शाह ही है। मुकदमा दायर के पहले मैंने अपने पदाधिकारियों से इसके बारे में नहीं बताया था। उस समय मैं स्वयं जिला उपाध्यक्ष था। इसकी जानकारी हमको नहीं है कि इस संबंध में अमित शाह द्वारा कोई मुकदमा दायर किया गया है या नहीं। वीडियो दिनेश कुमार व अनुरुद्ध कुमार ने दिखाकर

काफी अपमानित किया था। इस संबंध में मैंने दिनेश कुमार व अनुरुद्ध कुमार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर किया, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है। मैंने यह बात कि उस रात को काफी मैं दुखी व अपमानित महसूस किया, उस दिन मैंने भोजन नहीं किया। यह बात मैंने अपने परिवार-पत्र में नहीं लिखी है और न ही मैंने यह बयान अपने बयान अंतर्गत धारा-200 दंड प्रक्रिया संहिता में ही बतायी है। यह कहना गलत है कि उपरोक्त कथन मैं मुकदमे को तरतीब देने के लिए कानूनी सलाह मशविरे से न्यायालय में पहली बार झूठा कथन किया है। यह सही है कि इस मुकदमे के संबंध में मीडिया व चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेते हैं। वह वीडियो पूरे देश में चलता है। समाचार-पत्रों में भी प्रकाशन होता होगा। यह कहना गलत है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से मैंने यह परिवार दायर किया है। यह परिवाद मैंने किस अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। परिवाद अधिवक्ता ने टाइप कराया था, कहाँ कराया था, हमको नहीं पता। मैंने जनपद सुल्तानपुर में सी०डी० बनवायी है, किस जगह बनवायी है, यह नहीं बता सकता। किस तारीख को सी०डी० बनवायी थी, हमें ध्यान नहीं है। घटना के कितने दिन बाद मैंने थानाध्यक्ष व कप्तान साहब को रजिस्ट्री किया था, ध्यान नहीं है मुझे। लगभग एक हफ्ते बाद किया था। गवाह को पत्रावली दिखायी गयी तो गवाह ने कहा कि थानाध्यक्ष व कप्तान साहब को दी गयी रजिस्ट्री रसीद व प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। माननीय राहुल गांधी इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं तथा विपक्ष में LOP है। कर्नाटक चुनाव में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया है अथवा परिवार दायर किया है, कानूनी सलाह मशविरे से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर झूठे आधार पर व प्रमुख विपक्षी पार्टी तथा राहुल गांधी की राजनैतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से झूठा व फर्जी मुकदमा दायर किया है। यह भी कहना गलत है कि मैंने फर्जी वीडियो घटा-बढ़ाकर एवं बनवाकर दाखिल किया है। यह भी कहना गलत है कि प्रतिवादी द्वारा किसी की मानहानि नहीं की गयी। यह भी कहना गलत है कि कानूनी सलाह मशविरे से यह झूठा व फर्जी मुकदमा फर्जी वीडियो के आधार पर प्रस्तुत किया है।

10- साक्षी पी०डब्लू० 2- अनिल कुमार मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 15.07.2018 समय करीब 11:00 बजे दिन की है। मैं अपने मित्र रामचंद्र दूबे के साथ विजय मिश्रा पुत्र राम मूरत निवासी बजरंग नगर हनुमानगंज, कोतवाली देहात, जिला-सुल्तानपुर से मिलने उनके आवास पर मिलने गया था। उनके घर पर हाल-चाल व बात-चीत हो रही थी, तभी उसी समय दिनेश कुमार मिश्रा पुत्र केश कुमार मिश्रा निवासी कपिसा मिश्र का पूरवा मजरे जुड़ारा व अनुरुद्ध कुमार सेमरी पुरुषोत्तमपुर, थाना कोतवाली देहात भी आ गये। ये दोनों भी हमारी पार्टी भाजपा के

कार्यकर्ता है तथा पूर्व परिचित है। मैं उस समय जिला कार्य समिति का सदस्य था। अनुरुद्ध व दिनेश ने विजय मिश्रा से कहा कि आप जिस पार्टी से 28 वर्षों से कार्यकर्ता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा जा रहा है। हम लोग अब ऐसी पार्टी में नहीं रहेंगे, आप भी ऐसी पार्टी छोड़ दीजिए। यह कहते हुए दिनेश कुमार व अनिरुद्ध कुमार ने विजय मिश्रा व हमको मोबाइल में एक वीडियो फुटेज दिखाया, जिसमें राहुल गांधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे और भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में हत्यारा कह रहे थे। उनकी स्पीच को हमने अपनी आँखों से देखा व सुना था, जबकि सच्चाई यह है कि अमित शाह हत्या के अभियुक्त नहीं हैं। विजय मिश्रा उस समय काफी अपमानित व असहाय महसूस करने लगे। राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया था, वह दिनांक 08.05.2018 को बेंगलोर के प्रेस-कॉन्फ्रेंस का था। विजय मिश्रा फिर हमसे दोबारा मिले, दूसरे दिन हमसे कहा कि रात में मुझे नींद नहीं आयी, हमने भोजन भी नहीं किया। वीडियो देखकर हमने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी शिकायत भी करूँगा और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखाऊँगा। विजय मिश्रा उस समय भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी थे।

11- इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो इसने अपनी जिरह में कथन किया कि मैं तीन भाई हूँ, तीनों भाइयों का नाम अनिल कुमार मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा व अरुण कुमार मिश्रा है। मैं वर्तमान समय में ठेकेदारी करता हूँ। मैं इण्टर पास हूँ, कमलाकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लोहरामऊ से पास किया था। मैंने इण्टर 2010 में पास किया था, फिर कहा और पहले पास किया था। विजय मिश्रा परिवादी मूल निवासी कपिसा मिश्र का पुरवा मजरे जुड़ारा के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2023 में पयागीपुर के पास अपना आपसी मकान बनाया है। इनके परिवार के पत्नी और बच्चे एक साथ यहीं रहते हैं। मेरे गाँव से बजरंग नगर हनुमानगंज लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बजरंग नगर से कपिसा मिश्र का पुरवा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। विजय मिश्रा के यहाँ मेरा इस घटना के पहले से इनके यहाँ आना-जाना, मेल-जोल है। शादी-ब्याह व मांगलिक कार्यक्रमों में हम लोगों का एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना अभी तक पूर्ववत् बरकरार है। इसी तरह रामचंद्र दूबे व दिनेश कुमार मिश्र व अनुरुद्ध कुमार शुक्ल हम सभी एक-दूसरे के मेल-जोल व सुख-दुख में तथा शादी-ब्याह एवं मांगलिक कार्यक्रमों में हम सभी उपरोक्त विजय मिश्रा के यहाँ व विजय मिश्रा हमारे यहाँ निमंत्रण आदि में एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना घटना के पूर्व से आना-जाना चला आ रहा है। विजय मिश्रा व मेरी रामचंद्र तथा दिनेश कुमार व अनुरुद्ध कुमार में आपस में अच्छी मित्रता तथा दोस्ती है। रामचन्द्र दूबे कुछमुछ के रहने वाले हैं, बजरंग नगर हनुमानगंज में रामचंद्र का

घर 7-8 किलोमीटर है। अनुरुद्ध कुमार सेमरी पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले है। सेमरी पुरुषोत्तमपुर से बजरंग नगर हनुमानगंज लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं यह नहीं जानता हूँ दिनेश कुमार मिश्रा, विजय कुमार मिश्रा के परिवार के है। दिनेश कुमार मिश्रा के पिता का इनके परिवार के है या नहीं, मुझे नहीं पता। विजय कुमार मिश्रा को मैं करीब 15-20 साल पूर्व से जानता हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी तीन-चार माह पूर्व विजय मिश्रा ने धोखाधड़ी के मामले में अपनी जमानत करायी है कि नहीं। मैं सन्तराम तिवारी निवासी धरियामऊ को नहीं जानता हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विजय मिश्रा ने अपने सहयोगी सन्तराम तिवारी के जमीन को सन्तराम की जमीन पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके बैनामा कर दिया। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सन्तराम तिवारी की सूचना पर विजय मिश्रा व इनके सहयोगीगण के विरुद्ध अपराध सं०-54/08, धारा-419,420,467,468 भा०द०सं०, थाना-को० नगर में मुकदमा दर्ज है अथवा नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने विजय मिश्रा के विरुद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया है और वह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विजय मिश्रा के विरुद्ध कितने आपराधिक वाद दर्ज है। हो सकता है कि उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो, मुझे याद नहीं है। मैंने कमलाकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लोहरामऊ से इण्टर की परीक्षा पास की है, जिसमें संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि विषय से किस सन् में इण्टर पास किया था, वह सब याद नहीं है। मैं अंग्रेजी के शब्द का अथवा उसकी हिन्दी नहीं जानता हूँ। लोहरामऊ में मेरी व रामचन्द्र से मुलाकात हुयी थी। हम दोनों मोटरसाइकिल से थे। हम लोगों ने अपनी-अपनी मोटरसाइकिल से विजय मिश्रा के निवास पर आये थे। मेरी रामचंद्र दूबे से संयोगवश मुलाकात हुयी थी। कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। मेरी रामचंद्र से लोहरामऊ में लगभग 10.30 बजे दिन में मुलाकात हुयी थी। इस घटना के पूर्व विजय मिश्रा के यहाँ मैं कब आया था, यह ध्यान नहीं है। रामचन्द्र दूबे के साथ विजय मिश्रा के यहाँ मैं पहली बार गया था, इसके पूर्व रामचन्द्र दूबे के साथ नहीं गया था। हम लोगों के पहुँचने के 15-20 मिनट बाद अनुरुद्ध व दिनेश आये थे। लोहरामऊ से विजय मिश्रा के आवास पर पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लगा था। विजय मिश्रा के यहाँ दिनांक 15.07.2018 को किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं पहली बार विजय मिश्रा के यहाँ उपरोक्त दिनेश व अनुरुद्ध तथा रामचन्द्र से मुलाकात हुयी थी। इसके पूर्व मेरी उपरोक्त तीनों लोगों से विजय मिश्रा के यहाँ कभी कोई मुलाकात या बात-चीत नहीं हुयी थी। इस मुकदमे के सम्बन्ध में दिनांक 28.02.2025 तथा 09.09.2025 को जो मैं न्यायालय में बयान दिया है, इसके अलावा मैंने इस मुकदमे के सम्बन्ध में कभी कोई

बयान 202 द०प्र०सं० के मुकदमे में नहीं दिया है। मेरे नाम व वल्लियत का कोई व्यक्ति मेरे गाँव में नहीं है। मैं बैंगलोर शहर कभी नहीं गया हूँ। राहुल गाँधी का प्रेस-कॉफ़रेन्स दिनांक 08.05.2018 का बैंगलोर का था। यह बात मैंने न्यायालय में पहली बार बतायी है। दिनांक 08.05.2018 का बैंगलोर का प्रेस-कॉफ़रेन्स का कार्यक्रम मैंने स्वतः न देखा था, न सुना था, न ही वहाँ पर मौजूद ही था। राहुल गाँधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे, यह बात मैंने न्यायालय में पहली बार बतायी है। राहुल गाँधी किस विषय पर प्रेस-कॉफ़रेन्स कर रहे थे, यह मुझे जानकारी नहीं है। मैं राहुल गाँधी द्वारा दिया गया अंग्रेजी के स्पीच का सण्टेन्स नहीं बता सकता। राहुल गाँधी के स्पीच में विजय मिश्रा, मेरे, रामचंद्र, अनुरुद्ध व दिनेश के सम्बन्ध में अथवा सुलतानपुर तथा उत्तर प्रदेश भाजपा के किसी पदाधिकारी के सम्बन्ध कोई भी बात नहीं कही गयी थी। व बिरादरी में विजय मिश्रा व हम सभी इस मुकदमे के जहाँ पर सभी का निमंत्रण रहता है, सभी मान-सम्मान के साथ जाते हैं तथा वहाँ मान-सम्मान के साथ लोगों से मिलना-जुलना सभी एक-दूसरे से प्रेम-व्यवहार घटना के पहले से बरकरार है। हम चारों लोग व हमारे सहयोगीगण पहले भी भाजपा पार्टी में थे। आज भी भाजपा पार्टी में है। हम लोगों ने भाजपा पार्टी छोड़े नहीं है। दिनेश कुमार व अनुरुद्ध कुमार ने विजय मिश्रा व हमको मोबाइल में एक वीडियो फुटेज दिखाया, जिसमें राहुल गाँधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। मैंने यह बयान न्यायालय में पहली बार दे रहे हैं, इसके पहले मैंने कभी नहीं बताया। विजय मिश्रा के मकान का दरवाजा उत्तर तरफ है, विजय मिश्रा के मकान के अन्दर यह बात-चीत हो रही थी। दिनेश कुमार व अनुरुद्ध में से वीडियो फुटेज किसने दिखाया था, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि जो अपने द्वारा वीडियो फुटेज देखने तथा अनुरुद्ध व दिनेश द्वारा वीडियो फुटेज दिखाये जाने का कथन मैंने सिखाने से कहा और झूठा बयान दिया है। उस स्पीच को मैंने अपनी आँखों से देखा व सुना था, यह बात भी मैंने न्यायालय में पहली बार बताया है, इसके पहले मैंने नहीं बताया था। इस वीडियो के बारे में दिनांक 15.07.2018 के पूर्व मुझे उक्त वीडियो व तथ्य के बारे में जानकारी नहीं थी, न ही मुझे किसी ने बताया ही था। विजय मिश्रा उस समय काफी अपमानित व असहाय महसूस करने लगे, यह बात मैंने न्यायालय में अपने मुख्य बयान में पहली बार बताया, इसके पहले कभी नहीं बताया था। मैंने व रामचंद्र, अनुरुद्ध व दिनेश ने विजय मिश्रा को अपमानित नहीं किया था। विजय मिश्रा दुबारा मुझसे 1-2 दिन बाद मिले थे। दुबारा मिलने पर दूसरे दिन मुझसे कहा कि रात्रि में मुझे नींद नहीं आयी। मैंने रात्रि भोजन नहीं किया। मैंने अपने को अपमानित महसूस किया। यह बयान मैंने न्यायालय में पहली बार दिया था। इसके पूर्व इस सम्बन्ध में बयान कभी भी न्यायालय में नहीं दिया था। यह मैं जानता हूँ कि यह मुकदमा दायर करने के बाद मीडिया-चैनल वाले विजय

मिश्रा का इण्टरव्यू लेते हैं, जो टी०वी० चैनल पर चलता है, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी है। यह कहना गलत है कि मैंने कोई भी वीडियो फुटेज नहीं देखा। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 15.07.2018 को मैं विजय मिश्रा के यहाँ नहीं गया। यह भी कहना गलत है कि उपरोक्त दिनांक व समय को इस तरीके से कोई घटना नहीं हुयी थी। यह कहना गलत है कि उपरोक्त दिनांक, स्थान व समय पर मैं मौजूद नहीं था, न ही कोई घटना देखी थी, न सुनी थी। यह भी कहना गलत है कि परिवादी का मेलीमददगार, मित्र व पार्टी के होने के कारण कानूनी सलाह मशविरे से सिखाने से झूठी गवाही दे रहा हूँ।

12- साक्षी पी०डब्लू० 3- राम चन्द्र दूबे ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 15.07.2018 की समय लगभग 11.00 बजे दिन की है। मैं और अनिल मिश्रा निवासी पीताम्बरपुर, थाना-को० देहात के साथ श्री विजय मिश्रा से मिलने उनके निवास स्थान पर बजरंग नगर हनुमानगंज, थाना-को० देहात गये थे। उनके घर पहुँचकर हम तीनों लोग बैठकर आपस में बात-चीत कर रहे थे। उसी समय अनुरुद्ध शुक्ला पुरुषोत्तमपुर व उनके साथ हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता दिनेश कुमार जो जुड़ारा के रहने वाले हैं, थाना-को० देहात ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। उस समय मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला संयोजक था। इतने में इन दोनों लोगों ने दिनेश मिश्रा व अनुरुद्ध शुक्ला ने विजय मिश्रा से कहा आप भारतीय जनता पार्टी में 28 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कांग्रेस नेता राहुल गाँधी जी हत्यारा कह रहे हैं। ऐसी पार्टी में हम लोग काम नहीं करेंगे और न आप ही करें। जो कि पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाय तो ऐसी पार्टी में रहना उचित नहीं। इतने में दिनेश मिश्रा व अनुरुद्ध शुक्ला द्वारा मोबाइल निकाल कर एक वीडियो फुटेज दिखाने लगे, जिसमें राहुल गाँधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे, जिसको हम सभी ने देखा व सुना। यह स्पीच दिनांक 08.05.2018 को बेंगलोर में दे रहे थे। इस स्पीच को सुनकर श्री विजय मिश्रा जी काफी आहत हुये। उन्होंने कहा कि मैं इसकी शिकायत करूँगा तथा राहुल गाँधी के खिलाफ मुकदमा भी लिखाऊँगा। उस समय विजय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष तथा को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे।

13- इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं दो भाई हूँ, मैं बड़ा हूँ। दूसरे का नाम शिवकरन द्विवेदी, जो मेरे छोटे भाई हैं, वर्तमान समय में खेती भी करता हूँ तथा भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम करता हूँ। मैं इण्टर तक पढ़ा हूँ। 1972 में मैं इण्टर पास किया था। मेरा मूल निवास ग्रामसभा मलिकपुर, पोस्ट-पखरौली, थाना-को० देहात, जनपद-सुलतानपुर और मेरा कोई निवास नहीं है। मेरे एक लड़का है, उसका नाम रूपेश द्विवेदी

है। मैं रोड़वेज में परिचालक के पद पर कार्यरत् था। मैं वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुआ। विजय मिश्रा को इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से इसके पहले से जानता पहचानता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विजय मिश्रा ने लगभग 6 माह पूर्व किसी धोखाधड़ी के मामले में जमानत कराये है कि नहीं। मैं सन्तराम निवासी धरियामऊ को नहीं जानता। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि विजय मिश्रा ने सन्तराम के जमीन का किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके जमीन का बैनामा काराया। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि विजय मिश्रा व उनके सहयोगीगण के विरुद्ध अ०सं०-54/08, धारा-412, 420, 467, 468 भा०दं०सं० का मुकदमा थाना को० नगर में दर्ज है, जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, जो न्यायालय में चल रहा है। विजय मिश्रा के खिलाफ इसके पूर्व कितने मुकदमे आपराधिक कायम हुये हैं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि विजय मिश्रा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी मैं जानबूझकर सही बात नहीं बता रहा हूँ। मेरे गाँव मलिकपुर से पखरौली होकर बजरंगनगर विजय मिश्रा के निवास पर आने का रास्ता है। मेरे गाँव मलिकपुर से विजय मिश्रा का निवास बजरंग नगर की दूरी 6-7 किलोमीटर पड़ेगा। मैं, अनिल मिश्रा निवासी पीताम्बरपुर वर्ष 2017 से जानता हूँ। अनुरुद्ध शुक्ला पुरुषोत्तमपुर निवासी, जिनके बगल मेरी ससुराल है, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। दिनेश कुमार मिश्रा निवासी कपिसा मिश्र का पुरवा मजरे जुड़ारा, यह विजय मिश्रा के सगे चचेरे भाई नहीं है। मैं, विजय मिश्रा, अनुरद्ध व दिनेश कुमार में आपस में आज भी पूर्व की तरह मेल-जोल है और कभी-कभार हम लोगों की मेल-जोल होती रहती है। हम लोगों का पूर्व जेवार में एक-दूसरे के यहाँ दुख, शादी-ब्याह के मौके पर आना-जाना समाज में मान-प्रतिष्ठा पूर्व का बरकरार है। सभी लोग एक-दूसरे के यहाँ सुख-दुख में आते-जाते हैं। शादी-ब्याह के मौके पर समाज में आना-जाना घटना के पूर्व से मान-सम्मान और अब तक बरकरार है। विजय मिश्रा के यहाँ घटना वाले दिन कोई शादी-ब्याह अथवा किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं, विजय मिश्रा के यहाँ किसी कार्यक्रम के निवृत्त नहीं गया था। अनिल मिश्रा निवासी पीताम्बरपुर के घर मेरे घर से 10-11 किलोमीटर दूर पड़ता है। मुझे याद नहीं है कि दिनांक 15.07.2018 के पूर्व विजय मिश्रा के घर कब गया था। मुझे याद नहीं है कि दिनांक 15.07.2018 के पूर्व मैं कभी अनिल मिश्रा के साथ विजय मिश्रा के घर बजरंगनगर हनुमानगंज गया था या नहीं। मेरी कभी भी अनुरुद्ध शुक्ला से दिनांक 15.07.2018 के पूर्व विजय मिश्रा के निवास पर मुलाकात नहीं हुयी थी। दिनेश कुमार से मेरी मुलाकात विजय मिश्रा के घर पर नहीं हुयी है। दिनेश कुमार से रास्ते में मेरी मुलाकात कब हुयी, बता नहीं सकते। कितने दिन पहले हुयी थी, यह भी याद नहीं है। काफी पुरानी बात है, याद नहीं है। इस घटना के सम्बन्ध में मेरा इसके पूर्व दिनांक 08.12.2025 को न्यायालय में बयान हुआ

था, इसके अलावा इस मुकदमे के सम्बन्ध में न्यायालय में मेरा कोई बयान नहीं हुआ है। यह कहना गलत है कि मैंने जो कुछ भी न्यायालय में इसके पूर्व बयान दिया है, वह सिखाने से दिया है। घटना वाले दिन मेरी मुलाकात अनिल मिश्रा से विजय मिश्रा के घर पर हुयी थी, फिर कहा कि भाजपा कार्यालय सुलतानपुर में हुयी थी। भाजपा कार्यालय सुलतानपुर में मेरी अनिल मिश्रा से 11.00 बजे दिन में घटना वाले दिन मुलाकात हुयी थी। भाजपा कार्यालय सुलतानपुर में अनिल मिश्रा मुझसे पहले आकर बैठे हुये थे। मेरे पहुँचने के आधा पौन घण्टे बाद बैठक खत्म हुयी। यह बैठक खत्म होने के बाद मैं और अनिल मिश्रा भाजपा कार्यालय सुलतानपुर से विजय मिश्रा के घर आये। भाजपा कार्यालय सुलतानपुर से विजय मिश्रा का घर लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। एक ही मोटरसाइकिल पर मैं और अनिल मिश्रा भाजपा कार्यालय से **विजय** मिश्रा के घर आये थे। भाजपा कार्यालय सुलतानपुर से मुझे और अनिल मिश्रा को विजय मिश्रा के घर आने में लगभग आधा पौन घंटा का समय लगा होगा। इस बीच हम लोग कहीं रुके नहीं, चाय-नास्ता नहीं किये। यह सही है कि मैंने दिनांक 08.12.2025 को यह बात की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कांग्रेस नेता राहुल गाँधी जी हत्यारा कह रहे हैं, यह बयान मैंने न्यायालय में पहली बार दिया। यह सही है कि राहुल गाँधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। यह सब हम सबने देखा व सुना था, स्पीच दिनांक 08.05.2018 को बेंगलोर में दे रहे थे। यह बयान भी मैंने न्यायालय में पहली बार दिया है, इसके पहले मैंने उपरोक्त बयान कही नहीं दिया। यह कहना गलत है कि उपरोक्त बयान मैंने कानूनी सलाह-मशविरे से सीखने से मुकदमें में रंग देने के लिये कहा। यह सही है कि राहुल गाँधी की स्पीच को मैंने बेंगलोर में न देखा था, न सुना था, न ही मौजूद ही था। यह स्पीच बेंगलोर में किस जगह का था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। राहुल गाँधी दिनांक 08.05.2018 को बेंगलोर में किस विषय पर स्पीच दे रहे थे, यह हमें नहीं मालूम। राहुल गाँधी अंग्रेजी में किन शब्दों में स्पीच दिया था, वह शब्द मैं नहीं बता सकता। अंग्रेजी के एक शब्द को भी नहीं बता सकता। यह सही है कि दिनेश व अनुरुद्ध ने मोबाइल नहीं दिखाया था। यह सही है कि राहुल गाँधी ने अपने स्पीच में मेरे व विजय मिश्रा, अनुरुद्ध शुक्ला तथा दिनेश कुमार के बारे में अथवा सुलतानपुर के किसी पदाधिकारी भाजपा के बारे में तथा भाजपा के किसी अन्य पदाधिकारी के बारे में कोई बात नहीं कही थी। हम और विजय मिश्रा, अनुरुद्ध कुमार व दिनेश कुमार घटना के पूर्व से भाजपा में थे, हम लोग आज भी भाजपा में हैं। हम लोगों ने भाजपा पार्टी को नहीं छोड़ा है। यह सही है कि दिनांक 15.07.2018 के पूर्व हम लोगों को इस वीडियो के बारे में तथा उसमें तथाकथित कही गयी कथन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी व विजय मिश्रा तथा अनिल मिश्रा की बातचीत लगभग 10-15 मिनट हुयी थी। तब अनुरुद्ध शुक्ला व दिनेश कुमार आये थे। यह हम

लोगों की बातचीत हम लोगों की विजय मिश्रा के घर के अन्दर कमरे में हो रही थी, वहीं पर वीडियो दिखाया गया था। हम लोग वहाँ पर करीब दो घण्टे रहे थे, चाय, पानी, नास्ता हुआ था। विजय मिश्रा ने अपना आवास वर्ष 2003 से पयागीपुर सुलतानपुर में बनाया है। यह सही है कि मैंने दिनांक 08.12.2025 को विजय मिश्रा के निवास बजरंगनगर हनुमानगंज, थाना-को० देहात पर आने की बात मैंने न्यायालय में पहली बार बताया है। यह सही है कि मेरा, विजय मिश्रा, अनुरुद्ध व अनिल व दिनेश का मेल-जोल आपस में, समाज में मान-प्रतिष्ठा व सम्मान आज भी पूर्ववत् बना हुआ है। सभी का एक-दूसरे के यहाँ जाना, एक-दूसरे की मदद करना, सहयोग करना पूर्ववत् पहले की तरह सम्बन्ध बना हुआ है। यह कहना गलत है कि मैं व अनिल मिश्रा दिनांक 15.07.2018 को विजय मिश्रा के घर बजरंगनगर हनुमानगंज नहीं गये थे। यह भी कहना गलत है कि वहाँ दिनेश कुमार व अनुरुद्ध न ही आये थे, न ही कोई वीडियो दिखाया था। यह भी कहना गलत है कि विजय मिश्रा सहयोगी, मेलीमददगार तथा पार्टी का होने के कारण मैंने कानूनी सलाह-मशविरे से व प्रतिवादी की प्रतिष्ठा भंग करने के लिये झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने जैसा बयान दिया, इस तरह से तथाकथित स्थान व समय पर इस तरह की तरीके की कोई घटना नहीं हुयी। यह भी कहना गलत है कि कानूनी सलाह-मशविरे से तथ्यों को तोड़-मड़ोरकर कानूनी सलाह-मशविरे से सिखाने से एक ही पार्टी का होने के कारण मैंने झूठी गवाही दिया।

14- दौरान बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि परिवादी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी/कार्यकर्ता है। विपक्षी राहुल गाँधी ने दिनांक 08.05.2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया है। समाज और जनता द्वारा वादी और अमित शाह की पहचान को एकसमान माना जाता है। विपक्षी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया है, जिसकी वीडियो क्लिप यू-ट्यूब पर उपलब्ध है, जिसकी सीडी प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र दाखिल किया गया है। उक्त बयान दिये जाते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह किसी भी मामले में आरोपी नहीं थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोया के मामले में दिनांक 19.04.2018 को अपने निर्णय द्वारा स्पष्ट कर दिया। विपक्षी का आशय अमित शाह के साथ पूरी पार्टी एवं सभी पदाधिकारियों को बदनाम करने का था। परिवादी एवं उसके गवाहों ने अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। सीडी पर प्रदर्श पड़ गया है एवं साबित है विपक्षी द्वारा सीडी को चलाकर कोई जिरह नहीं की गयी है। अतः सीडी साबित माना जायेगा। विपक्षी राजनीतिक लाभ के लिये इस प्रकार का बयान पहले भी दे चुका है, जिसके लिये एक बार दोषसिद्ध हो चुका है। वादी के आपराधिक

इतिहास का कोई औचित्य नहीं है, मामला आठ साल पहले का है। अतः स्वाभाविक है कि सीडी बनवाने के बारे में नहीं बता सकते। परिवार-पत्र संस्थित मामला है। अतः रजिस्ट्री रसीद दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। विपक्षी ने अपने बयान अंतर्गत धारा-313 में अपने कथन को विशिष्ट रूप से इंकार नहीं किया है। सीडी में छेड़छाड़ करने का भार विपक्षी पर है, किन्तु इस बिन्दु पर कोई जिरह नहीं की गयी है। परिवार-पत्र को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय में दाखिल किया जाता है तथा संज्ञान के बाद का प्रक्रम है। भारत में सिद्धांत लागू नहीं है कि किसी साक्षी के एक बिन्दु पर गलती पूरे साक्ष्य को अग्राह्य बना देगी। पूरे साक्ष्य को देखा जायेगा। विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित अभ्यावेदन में पैरा 17 एवं 18 में कथन दिये जाने को स्वीकार किया है। अतः धारा 499 के अपवाद प्रथम एवं नवम को साबित करने का भार साक्ष्य विधि के अनुसार अभियुक्त पर है। परिवारी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 01.12.2014 को न्यायाधीश लोया की मृत्यु हुयी, दिनांक 30.12.2014 को सीबीआई न्यायालय ने अमित शाह को उन्मोचित किया। हत्या के अभियुक्त बनाये गये थे, किन्तु सीबीआई न्यायालय ने भूमिका नहीं पायी। सीबीआई की कार्यवाही को चुनौती दिया गया। दिनांक 19.04.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश लोया की मृत्यु प्राकृतिक मानते हुये स्वतंत्र जाँच की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अपने तर्क के समर्थन में परिवारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया।

1. यसवंत सिन्हा एवं अन्य बनाम केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा निदेशक एवं अन्य रिट पिटीशन (क्रि० सं०-298/18)।
2. राहुल गाँधी बनाम पूर्णन्स ईश्वर भाई मोदी एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका सं०-8644/23
3. मेधा पाटेकर बनाम वी०के० सक्सेना (विशेष अनुमति याचिका सं०-11953/25)।
4. जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 590
5. कंवल लाल बनाम पंजाब राज्य 1963 ए०आई०आर० 1317
6. साहिब सिंह मेहरा बनाम उ०प्र० राज्य 1965 ए०आई०आर० 1451
7. चमन लाल बनाम पंजाब राज्य 1970 ए०आई०आर० 1372
8. वी० सत्यनरायण बनाम संदीप इण्टरप्राइजेज 2005 सीआरआईएलजे 12
9. ईदाकांदी दिनेशन उर्फ पी० दिनेशन एवं अन्य बनाम केरला राज्य

15- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया कि परिवादी ने थाने एवं पुलिस कप्तान को सूचना देने का कथन किया है, किन्तु पत्रावली पर कोई रसीद दाखिल नहीं है, जो यह दर्शाता है कि गवाह झूठ बोल रहा है। परिवादी ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि किस अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दाखिल किया, यह नहीं बता सकता। जब अपने अधिवक्ता का नाम नहीं मालूम, किस जगह टाइप कराया नहीं मालूम तो परिवाद साबित नहीं माना जायेगा। जैसे तहरीर साबित होती है, वैसे परिवाद को साबित कराना चाहिये था। परिवाद में कहीं उल्लेख नहीं है दिनेश एवं अनुरुद्ध ने वादी को वीडियो दिखाया। अनुरुद्ध एवं दिनेश को परीक्षित नहीं कराया गया, जबकि दिनेश परिवादी के चचेरे भाई हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के तहत मानहानि के मामले में केवल व्यथित व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकता है। व्यक्तियों का समूह पहचान योग्य एवं निश्चित होना चाहिये, राजनीतिक दल निश्चित एवं पहचान योग्य नहीं होते।

परिवादी भाजपा का जिला उपाध्यक्ष है, यह भी साबित नहीं है। सीडी को भी साबित नहीं कराया गया है। जिसने सीडी बनाया वह साबित करेगा, किन्तु वादी ने स्वयं प्रमाण-पत्र दिया। प्रेस कांफ्रेंस में न तो वादी मौजूद था, न ही उसके गवाह। अतः प्रकरण सुनी-सुनाई बात (अनुश्रुत साक्ष्य) पर आधारित है। सीडी को संदर्भ से अन्यथा केवल एक लाइन की बनाकर दाखिल किया है। मानहानि का कोई आशय नहीं है, बल्कि गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रेस वार्ता का पूरा भाग की वीडियो नहीं दाखिल किया है। अनुरुद्ध एवं दिनेश को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो कि सर्वोत्तम साक्षी थे। उन्हें जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 08.05.2018 की वीडियो वो दिनांक 15.07.2018 को देखने का कथन परिवादी एवं गवाहों ने किया है। इससे पूर्व न देखा, न सुना है। किस प्रकाश से पार्टी से है, क्या निष्ठा रखते हैं, कितना विलम्ब से पता चला है। वादी अमित शाह का पूरा नाम भी नहीं जानता, स्वयं जिरह में कहा है। प्रेस वार्ता में वादी के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। समाज में किस तरीके से मानहानि हुयी, यह स्पष्ट नहीं किया गया। मात्र खाना न खाने से मान-सम्मान को क्षति नहीं मानी जायेगी। सीडी कहाँ बनवायी एवं किसने बनवायी याद न होने का कथन किया। परीक्षित दोनों गवाह भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो कि हितबद्ध साक्षी हैं। जिरह में शादी-विवाह में आना-जाना बताया है, जिससे दर्शित होता है कि समाज में कोई प्रतिष्ठा को क्षति नहीं हुयी। पी०डब्लू२ एवं पी०डब्लू३ द्वारा मुलाकात के बिन्दु पर जिरह में दिये गये बयान में गम्भीर विरोधाभास है। पी०डब्लू२ एवं पी०डब्लू३ ने जिरह में धारा-202 में दिये गये बयान से इंकार किया तथा मान-सम्मान पूर्ववत् बरकरार रहने का कथन किया। पी०डब्लू२ ने अलग-अलग मोटरसाइकिल से वादी के घर जाना बताया है, जबकि पी०डब्लू३ ने एक ही मोटरसाइकिल से वादी के घर जाना बताया है। पूरी कहानी संदिग्ध

है, केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से प्रस्तुत परिवाद दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा मौखिक बहस के साथ-साथ लिखित अभ्यावेदन भी अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी एक प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त करायी गयी है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

1. साहिब सिंह बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई०आर० 1965 एससी 1451
2. जी नरसिम्हन बनाम टी०वी० चोकप्पा ए०आई०आर० 1972 एससी 2609
3. एस० खुशबू बनाम कनाईअम्मल एवं अन्य 2010 (2) जी०एल०एच० 334
4. एम०पी० नरायन पिल्लई एवं अन्य बनाम एम०पी० चाको एवं अन्य 1986 सीआरआई एलजे 2002
5. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) 7 एस०सी०सी० 221
6. कृष्णा स्वामी बनाम सी०एच० कनरन 1971 के०एल०टी० 165
7. रनदीप सिंह उर्फ राना एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 2024 एस०सी०सी० आनलाइन एस०सी० 3383
8. अर्जुन पण्डित राव कोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरण्टियाल 2020 (7) एस०सी०सी० 1
9. अरुण पूरी बनाम सुखबीर सिंह वाहला 2017 एस०सी०सी० आनलाइन पी० एण्ड एच० 65
10. वी० राधाकृष्णन एवं 6 अन्य बनाम अल्ला रामाकृष्णा रेड्डी एवं अन्य।

16- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादी ने मुख्य रूप से विपक्षी राहुल गाँधी द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान दिनांक 08.05.2018 को बेंगलुरु में प्रेस-कांफ्रेंस के दौरान अभिकथित रूप से परिवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं परिवादी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध दिये गये अभिकथित मानहानिकारक वक्तव्यों से व्यथित होकर प्रस्तुत परिवाद दाखिल किया है। परिवाद कथानक के अनुसार, विपक्षी राहुल गाँधी द्वारा दिया गया उक्त अभिकथित मानहानिकारक वक्तव्य इस प्रकार है-

"Amit Shah has been accused of murder. The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case, so I don't think Amit Shah has a lot of credibility. Let's look into his background. Let's see what he is responsible for? Let's see

how he does politics and also don't forget that he is a murder accused. This is fundamental. People of India forget that the President of the BJP is a murder accused. That's the truth. The Party that talks about honesty, decency, has a person who is a accused of murder and he is President."

उपरोक्त अभिकथन के सम्बन्ध में प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त राहुल गाँधी का विचारण तद्वसार किया जा रहा है।

17- प्रस्तुत प्रकरण के अंतिम न्याय निर्णयन हेतु अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ निम्न तीन बिन्दुओं का न्याय निर्णयन किया जाना आवश्यक है-

1. क्या परिवादी ने अभिकथित वक्तव्य/लांछन को अंतर्विष्ट करने वाली कथित सीडी को विधिपूर्ण ढंग से साबित किया है,
2. क्या परिवादी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के दृष्टिगत व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आता है एवं परिवाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है,
3. क्या विपक्षी द्वारा दिया गया अभिकथित वक्तव्य दिनांक 08.05.2018 उपरोक्त मानहानिकारक है,

18- उपरोक्त बिन्दुओं की क्रमशः विस्तृत विवेचना किये जाने से पूर्व प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

19- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, किन्तु यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये गये हैं तथा यह प्रावधान किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मानहानि के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने हेतु राज्य सक्षम है।

20- इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है एवं इसके तहत ख्याति का अधिकार भी आता है।

21- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है तथा धारा-500 में मानहानि को दण्डित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-499 के अनुसार मानहानि की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है- जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाय या यह जानते हुये या विश्वास करने का कारण रखते हुये लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि

होगी, एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।

स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता, जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति के जाति या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराये या यह विश्वास न कराये कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में जो साधारण रूप में निकृष्ट समझी जाती है।

प्रथम अपवाद के अनुसार, किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। यदि यह लोक कल्याण के लिये हो कि वह लांछन लगाया जाय या प्रकाशित किया जाय। वह लोक कल्याण के लिये है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है।

नवम अपवाद के अनुसार, किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिये या लोक कल्याण के लिये वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो।

22- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के अनुसार, आपराधिक मानहानि के वाद में कोई भी न्यायालय अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं। इसके कुछ अपवाद हैं, जो प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते।

23- परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में यह तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये मानहानिकारक वक्तव्य की वीडियो यू-ट्यूब पर उपलब्ध है, जिसे परिवादी को उसके शुभचिंतक दिनेश व अनुरुद्ध शुक्ला ने दिखाया, जिसे परिवादी के मोबाइल पर फारवर्ड किया। उक्त वीडियो को परिवादी ने अपने मोबाइल में भी देखा एवं अपने मोबाइल से ही सीडी बनवाया, सीडी को पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अंतर्गत धारा-65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम दाखिल किया गया है। सीडी पर वस्तु प्रदर्श क-1 पड़ा है, जो कि साबित है। गवाहों ने भी वीडियो देखने का जिक्र किया है। अभियुक्त ने अपने लिखित अभ्यावेदन में यह स्वीकार किया है कि कथन लोक कल्याण की भलाई के लिये सद्भाव में दिया गया है, जो कि धारा-499 के प्रथम एवं नवम अपवाद के अंतर्गत आता है। अभियुक्त ने कहीं भी स्पष्ट रूप से यह इंकार नहीं किया है कि उसने इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया है, बल्कि बयान मुल्जिम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा-313 के बयान एवं अपने लिखित अभ्यावेदन में

उक्त कथन को तोड़-मड़ोरकर संदर्भ से अन्यथा चुनिंदा रूप से प्रस्तुत करने का कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में सीडी विधतः साबित है।

24- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क के खण्डन में यह तर्क दिया गया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी एवं गवाहों ने स्वयं अपनी मोबाइल से कथित बयान को रिकार्ड नहीं किया है एवं न ही वे उस प्रेस वार्ता में उपस्थित थे। वादी ने दूसरे व्यक्ति से अपने मोबाइल पर उक्त वीडियो प्राप्त करने का कथन किया है। सीडी को समुचित रूप से साबित नहीं किया गया है, किस ढंग से प्राप्त किया गया है एवं किस मूल स्रोत से रिकार्ड किया गया है एवं निर्मित किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। सीडी दाखिल करते समय धारा-65 बी का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। बाद में प्रमाण-पत्र दाखिल करने से दोष दूर नहीं होगा, विशेषकर जब वीडियो का स्रोत, प्रामाणिकता एवं अखण्डता स्थापित नहीं होती। अतः ऐसी स्थिति में यदि सीडी को विचार में न ले तो अभिकथित बयान का कोई भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है एवं गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर, जो कि प्रेस वार्ता में मौजूद नहीं थे एवं कथित बयान के वही शब्द उच्चारित करने असमर्थ है, तो ऐसा साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है एवं विश्वास नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

25- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त राहुल गाँधी अपने बयान मुल्जिम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के बयान में तथ्यों को तोड़-मड़ोरकर चुनिंदा रूप से प्रसंग से अन्यथा बयान को पेश करने का कथन किया है। वादी ने अपने परिचित व्यक्तियों दिनेश एवं अनुरुद्ध द्वारा उक्त बयान वाली वीडियो मोबाइल में दिखाने एवं उसके मोबाइल पर फारवर्ड करने तथा अपने मोबाइल पर पुनः देखने तथा उसकी सीडी बनवाकर पत्रावली पर दाखिल करने व इससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पत्रावली पर दाखिल करने का कथन किया। पत्रावली पर उक्त प्रमाण-पत्र दाखिल है। उक्त बयान यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध है, जिसका अवलोकन न्यायालय द्वारा सुलभ संदर्भ हेतु किया गया है। जो कि यू-ट्यूब पर <https://youtu.be/ZrzR0Lh80FE?si=Lx7wrbqx849ahiy3> पर उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा उक्त बयान में प्रयुक्त शब्दों में छेड़छाड़ किये जाने के बावजूद कहीं भी कोई विशिष्ट आपत्ति या अभिकथन नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत न्यायालय की राय में पत्रावली पर दाखिल सीडी समुचित रूप से साबित की गयी है तथा इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

26- दूसरे बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि परिवादी भाजपा का जिला उपाध्यक्ष रहा है। भाजपा एवं विशेष रूप से श्री अमित भाई

शाह के साथ परिवारी के भाई चारे की सीमा इस हद तक है कि परिवारी की पहचान को ही समाज और जनता द्वारा अमित शाह की प्रतिष्ठा के अभिन्न अंग के रूप में माना और जाना जाता है। परिवारी की प्रतिष्ठा सत्तारूढ़ भाजपा एवं अमित भाई साहब के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुयी है कि भाजपा एवं विशेष रूप से अमित भाई साहब की प्रतिष्ठा में कोई भी कमी वास्तव में परिवारी की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। परिवारी द्वारा उपरोक्त अभिकथन अमित शाह और परिवारी के पार्टी के खिलाफ जानबूझकर झूठ फैलाने के लिये किया गया है तथा अमित शाह, भाजपा और परिवारी जैसे पदाधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। उक्त बयान देखने के बाद परिवारी के दो शुभचिंतकों ने परिवारी से सम्पर्क कर अमित शाह और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े होने के कारण परिवारी के प्रति घृणा व्यक्त की। उक्त बयान ने दूसरों के अनुमान में परिवारी के नैतिक चरित्र को कम कर दिया है। परिवारी भाजपा का पदाधिकारी है तथा परिवारी के संगठन के नेता और परिवारी के राजनीतिक दल के खिलाफ हत्या के गम्भीर अपराध के झूठे आधारहीन, निंदनीय, दुर्भावनापूर्ण आरोप शामिल हैं, जिससे परिवारी की प्रतिष्ठा को अपरिवर्तनीय रूप से गम्भीर क्षति हुयी है। इस तरह परिवारी की पहचान और प्रतिष्ठा को उसके नेता और पार्टी से स्वतंत्र या अलग रूप में नहीं देखा जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

27- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्क के खण्डन में यह तर्क दिया कि परिवारी को वाद लाने का अधिकार ही नहीं है। अतः परिवार लोकस स्टैण्डाई के अभाव में पोषणीय नहीं है। यदि तर्क के लिये अभिकथित वक्तव्य को मानहानिकारक माना भी जाय तो इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवारी का कोई संदर्भ या उल्लेख नहीं है। वक्तव्य के साधारण शब्दों को देखने से वह अमित शाह एवं अधिक-से-अधिक भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित है तथा परिवारी से सम्बन्धित कोई कथन नहीं है। परिवारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के तहत व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता। परिवारी का यह कथन कि उसकी प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी एवं अमित शाह के साथ इतनी गहराई से जुड़ी है कि वह अलग नहीं की जा सकती, यह एक व्युत्पन्न या प्रतिनिधिक क्षति के दावे के समान है, जो कि आपराधिक मानहानि के प्रकरण में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अभिकथित वक्तव्य किसी विशिष्ट निर्धारित/निश्चित या पहचान योग्य व्यक्तियों के समुदाय से सम्बन्धित नहीं है, जिससे कि धारा-499 के स्पष्टीकरण 2 प्रस्तुत प्रकरण में आकृष्ट हो सके। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते, जिसकी सदस्यता अनिश्चित, परिवर्तनशील और व्यापक रूप से फैली हुयी है, को एक निश्चित और पहचाने जाने योग्य वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता। परिवारी ने न तो यह अभिकथन किया है कि और न ही सिद्ध किया है कि वह एक विशिष्ट एवं

निश्चित किये जाने योग्य वर्ग से सम्बन्धित/जुड़ा है, जिस पर अभिकथित लांछन लगाया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-199 अपराधिक विधि के सामान्य सिद्धांत का अपवाद प्रस्तुत करती है तथा मानहानि के मामले में यह अपेक्षा करती है कि केवल व्यथित व्यक्ति के परिवार पर ही अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी न तो धारा-199 द०प्र०सं० के तहत व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आता है और न ही है और न ही राजनीतिक पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति है और न पार्टी की ओर से मुकदमा दाखिल करने हेतु ससक्त पदाधिकारी है। परिवादी ने स्वयं को जिला उपाध्यक्ष वर्णित किया है, किन्तु उसका भी कोई साक्ष्य नहीं दिया है और यह किसी भी स्थिति में पार्टी का पक्ष रखने/प्रतिनिधित्व करने या अपने नाम में कार्यवाही करने का कोई विधिक प्राधिकार प्रदान नहीं करती। इस प्रकार, कोई भी प्राधिकार पत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत सम्मानित विधि व्यवस्था उपरोक्त का उल्लेख किया गया है।

28- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने-अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक सादर परिशीलन किया गया तथा अभिकथित वक्तव्य/लांछन का भी परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम, अभिकथित वक्तव्य/लांछन के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि उक्त अभिकथित वक्तव्य में कहीं भी परिवादी का उल्लेख नहीं है और न ही परिवादी के संदर्भ में कोई अभिकथन ही किया गया है, यह तथ्य परिवादी द्वारा भी स्वीकृत है। परिवादी ने इस बिन्दु पर यह अभिकथन किया है कि परिवादी एवं अमित शाह तथा पार्टी की प्रतिष्ठा एवं पहचान इतनी गहरायी से इस प्रकार जुड़ी है कि समाज और जनता द्वारा अमित शाह और भाजपा की प्रतिष्ठा में कोई भी कमी, परिवादी की प्रतिष्ठा में कमी के रूप में माना और जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि परिवादी ने परिवार कथानक में उक्त आशय का कथन तो किया है, किन्तु मौखिक परीक्षा के दौरान साक्ष्य में न तो परिवादी ने और न ही परिवादी द्वारा परीक्षित गवाहों ने उक्त आशय का कोई अभिकथन किया है। परिवादी द्वारा समाज या जनता का कोई भी ऐसा स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो परिवार कथानक में वर्णित उपरोक्त अभिकथन को साबित कर सके। परिवादी ने जो भी गवाह प्रस्तुत किया है, वह चाहे द०प्र०सं० की धारा 202 के तहत हो या विचारण के दौरान परीक्षित गवाह हो, वे सारे गवाह समाज या जनता के स्वतंत्र गवाह नहीं माने जा सकते, क्योंकि जिरह के दौरान यह तथ्य स्वीकृत एवं साबित हो चुका है सभी गवाह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं। अतः स्वतंत्र गवाहों के स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में परिवादी द्वारा अभिवचित यह तथ्य साबित नहीं हो पा रहा है कि अमित शाह एवं भाजपा की प्रतिष्ठा में कोई भी

कमी समाज या जनता द्वारा परिवादी की प्रतिष्ठा में कमी के रूप में देखा व माना जाता है।

29- इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि परिवादी एवं परिवादी द्वारा परीक्षित गवाहों ने जिरह के दौरान यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समाज में जनता के बीच उनकी मान-प्रतिष्ठा में कोई भी कमी नहीं आयी है एवं एक-दूसरे के यहाँ तथा जनता के बीच शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना पूर्ववत् बरकरार है। यह तथ्य परिवाद कथानक में अभिवचित तथ्यों की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है तथा उसके प्रतिकूल है।

30- अभिकथित वक्तव्य/लांछन के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त अभिकथन मुख्य रूप से अमित शाह के सम्बन्ध में किया गया है। वक्तव्य के आखिर में भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख आया है, किन्तु वह भी प्रसंगवश प्रकट हो रहा है। सम्पूर्ण वक्तव्य को समग्रता से देखने पर प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी अभियान के दौरान प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान कर्ज माफी, प्रशासन में स्वच्छता एवं बेरोजगारी के मुद्दों पर बात करते हुये एक पत्रकार द्वारा विशिष्ट रूप से अमित शाह एवं वी०एस येदियुरप्पा के अभिकथन के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने पर अभियुक्त उक्त वक्तव्य दिया गया है। वक्तव्य मुख्य रूप से अमित शाह के संदर्भ में है, जो कि तत्समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिसकी वजह से प्रसंगवश भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख होना प्रकट हो रहा है। यदि तर्क के लिये उक्त वक्तव्य को अमित शाह के साथ-साथ भाजपा के संदर्भ में भी मुख्य रूप से किया गया माना जाय तो भी यह तथ्य विचारणीय है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पार्टी की ओर से अधिकृत व्यक्ति के रूप में न तो दाखिल किया गया है और न ही इस आशय का कोई अभिकथन है। पत्रावली पर परिवादी द्वारा ऐसा कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता हो कि पार्टी की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने के लिये परिवादी को अधिकृत किया गया है। परिवादी द्वारा ऐसा कोई अभिवचन भी नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है, जिससे यह दर्शित या साबित हो कि परिवादी सम्बन्धित राजनीतिक दल भाजपा का ऐसा पदाधिकारी है, जो प्रस्तुत परिवाद दाखिल करने के लिये ससक्त है। परिवादी ने स्वयं को भाजपा का जिला उपाध्यक्ष अभिकथित किया है, किन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिये भी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में बल प्रकट होता है।

31- उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभिकथित वक्तव्य मुख्य रूप से अमित शाह के संदर्भ में दिया गया है, किन्तु परिवाद विजय मिश्रा परिवादी द्वारा उक्त वक्तव्य से स्वयं को व्यथित बताते हुये दाखिल किया गया है। विचारण के दौरान परिवादी द्वारा ऐसा कोई भी

साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह निष्कर्षित हो कि अमित शाह की प्रतिष्ठा और परिवादी की प्रतिष्ठा इतनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़ी हुयी है कि समाज या जनता के द्वारा अमित शाह की प्रतिष्ठा में कोई कमी परिवादी की प्रतिष्ठा को क्षति के रूप में देखी व मानी जाती है। द०प्र०सं की धारा-199 सामान्य आपराधिक विधि का अपवाद प्रस्तुत करते हुये यह प्रावधान करती है कि आपराधिक मानहानि हेतु वाद केवल व्यथित व्यक्ति ही दाखिल कर सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को वाद दाखिल करने का लोकस स्टैण्डार्ड नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् विधिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुये मत व्यक्त किया गया है-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी० नरसिम्हन बनाम टी०वी० चोक्पा के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है-

13. Counsel for the appellants seriously challenged the correctness of the paragraph from the High Court's judgment quoted above, that being the really operative and decisive part of the judgment, firstly, on the ground that those observations were not in consonance with s. 198 of the Code even when read with s. 499, Expl (2) of the Penal Code, and secondly, on the ground of the failure of the High Court to perceive the separate entities of the Dravida Kazhagam and the conference and its omission to realise that the resolution was the resolution of the Conference and not of the Dravida Kazhagam. The news item in question referred to the conference and not to the Dravida Kazhagam, and therefore, if anybody was defamed by the said news item, it was the conference and not the 'Dravida Kazhagam which had only organised that conference. Mr. Frank Anthony, on the other hand, urged that though it was the conference which had passed the resolution and though the news item referred to that conference and not to the Dravida Kazhagam and the respondent was not mentioned or referred to therein, in substance and in effect it was the Dravida Kazhagam which was defamed, for, it was that party which had organised the conference and sponsored the resolutions passed thereat. Therefore, the respondent, as a leading member of that party and the chairman of the reception committee, could claim that the defamatory imputations in the said news item were, relatable to him and the other members of the Dravida Kazhagam, and he was consequently entitled to file the complaint.

14. On these contentions, the principal question for determination is whether the respondent could be said to be an aggrieved person entitled to maintain the complaint within the meaning of s. 198 of the Code. That section lays down that no magistrate shall take cognizance of an offence falling inter alia under Ch. XXI of the Penal Code (that is, ss. 499 to 502) except upon a complaint made by some

persons aggrieved of such offence. [Sec. 198](#), thus, lays down an exception to the general rule that a complaint 'can be filed by anybody whether he is an aggrieved person or not and modifies that rule by permitting only an aggrieved person to move a magistrate in cases of defamation. The section is mandatory, so that if a magistrate were to take cognizance of the, offence of defamation on a complaint filed by one who is not an aggrieved person, the ;trial and conviction of an accused in such a case by the magistrate would be void and illegal.

15. Prima facie, therefore, if [s. 193](#) of the Code were to be noticed by itself, the complaint in the present case would be unsustainable, since the news item in question did not mention the respondent nor did it contain any defamatory imputation against him individually. [Sec. 499](#) of the Penal Code, which defines defamation, laid down that whoever by words, either spoken or intended to be read or by signs etc. makes or publishes any imputation concerning any person, intending to harm or knowing or having reason to believe that the imputation will harm he reputation of such person, is said to defame that person. This part of the section makes defamation in respect of an individual an offence. But Explanation (2) to the section lays down the rifle that it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such. A defamatory imputation against a collection of persons thus falls within the definition of defamation. The languageage of the Explanation is wide, and therefore, besides a company or an association, any collection of persons would be covered by it But such a collection of persons must be an identifiable body so that it is possible to say with definiteness that a group of particular persons, as distinguished. from the rest of the community, was defamed Therefore, in a case where Explanation (2) is re- sorted to, the identity of the company or the association or the collection of persons must be established so as to be relatable to the defamatory words or imputations. Where a writing inveigh,,, against mankind in a general. or against a particular order of men, e.g., men of own, it is no libel. It must descend to particulars and individual-, to make it a libel(1). In England also. criminal proceedings would lie in the case of libel against a class provided such a class is not indefinite, e.g. men of science. but a definite one. such as, the clergy of the diocese of Burham, the (1) (1699)3 Balk 224, cited in Ratanlal and Dhirajlal Law of Crimes (23rd ed.) 1317. justices of the peace for the county of Middlesex. (see Kenny's Outlines of Criminal Law (19th ed.) 235. If a well-defined class is defamed, every particular member of that class can file a cornplaint even if the defamatory imputation in question does not mention him by name.

16. In this connection, counsel for the appellants leaned heavily on Knupffer v. London Express Newspaper Ltd.(1). The passage printed and published by the respondents and which was the basis of the section there read as follows :

"The quislings on whom Hitler flatters himself he can build a pro-German movement within the Soviet Union are an emigre group called Hlado Russ or Young Russia. They are a. minute body professing a pure Fascist ideology who have long sought a suitable Fuehrer-I know with what success."

The appellant, a Russian resident in London, brought the action alleging that the aforesaid words had been falsely and maliciously printed and published of him by the respondents. The evidence was that the Young Russia party had a total

membership of 2000, that the headquarters of the party were first in Paris but in 1940 were shifted to America. The evidence, however, showed that the appellant had joined the party in 1928, that in 1935 he acted as the representative of the party and as the head of the branch in England, which had 24 members. The appellant had examined witnesses, all of whom had said that when they read the said article their minds went up to the appellant. The House of Lords rejected the action, Lord Simon saying that was an essential element of the cause of action in a libel action that the words complained of should be published of the plaintiff, that where he was not named, the test would be whether the words would reasonably lead people acquainted with him to the conclusion that he was the person referred to. The question whether they did so in fact would not arise if they could not in law be regarded as capable of referring to him, and that was not so as the imputations were in regard respect of the party which was in Paris and America. Lord Porter agreed with the dismissal of the action but based his decision on the ground that the body defamed had a membership of 2000, which was considerable, a fact vital in considering whether the words in question referred in fact to the appellant. The principle laid down here was that there can be no civil action for libel if it relates to a class of persons who are too numerous and unascertainable to join as plaintiffs. A single one of them could maintain such an action only if the words complained of were published "of the plaintiff", that is to say, if the words were capable of a conclusion that he was the person referred to. (see *Gatley on (1) [1944] A.C. 116*, 348 SupCI/73 *Libel and Slander* (6th ed.) 288. Mr. Anthony, however, was right in submitting that the test whether the members of a class defamed are numerous or not would not be apt in a criminal prosecution where technically speaking it is not by the persons injured but by the state that criminal proceedings are carried on and a complaint can lie in a case of libel against a class of persons provided always that such a class is not indeterminate or indefinite but a definite one. *Kenny's Outlines of Criminal Law* (19th ed.) 235. It is true that where there is an express statutory provision, as in [s. 499](#), Expl. (2), the rules of the Common Law of England cannot be applied. But there is no difference in principle between the rule laid down in Explanation (2) to [s. 499](#) and the law applied in such cases in England. When, therefore, Expl. (2) to [s. 499](#) talks of a collection of persons as capable of being defamed, such collection of persons must mean a definite and a determinate body.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निम्न मत व्यक्त किया है-

189- The said provision is criticized on the ground that "some person aggrieved" is on a broader spectrum and that is why, it allows all kinds of persons to take recourse to defamation. As far as the concept of "some person aggrieved" is concerned, we have referred to plethora of decisions in course of our deliberations to show how this Court has determined the concept of "some person aggrieved". While dealing with various Explanations, it has been clarified about definite identity of the body of persons or collection of persons. In fact, it can be stated that the "person aggrieved" is to be determined by the courts in each case according to the fact situation. It will require ascertainment on due deliberation of the facts. In [John Thomas v. Dr. K. Jagadeesan](#) 181 while dealing with "person aggrieved", the Court opined that the test is whether the complainant has reason to feel hurt on account of publication is a matter to be determined by the court depending upon the facts of each case. In [S. Khushboo](#) (supra), while dealing with

“person aggrieved”, a three-Judge Bench has opined that the respondents therein were not “person aggrieved” within the meaning of [Section 199\(1\)](#) CrPC as there was no specific legal injury caused to any (2001) 6 SCC 30 of the complainants since the appellant’s remarks were not directed at any individual or readily identifiable group of people. The Court placed reliance on *M.S. Jayaraj v. Commr. of Excise*¹⁸² and *G. Narasimhan (supra)* and observed that if a Magistrate were to take cognizance of the offence of defamation on a complaint filed by one who is not a “aggrieved person”, the trial and conviction of an accused in such a case by the Magistrate would be void and illegal. Thus, it is seen that the words “some person aggrieved” are determined by the courts depending upon the facts of the case. Therefore, the submission that it can include any and everyone as a “person aggrieved” is too spacious a submission to be accepted.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस० खुशबू बनाम कनाईअम्मल एवं अन्य में निम्न मत व्यक्त किया है-

26- Undoubtedly, the explanation is wide but in order to demonstrate the offence of defamation, such a collection of persons must be an identifiable body so that it is possible to say with precision that a group of particular persons, as distinguished from the rest of the community stood defamed. In case the identity of the collection of persons is not established so as to be relatable to the defamatory words or imputations, the complaint is not maintainable. In case a class is mentioned, if such a class is indefinite, the complaint cannot be entertained. Furthermore, if it is not possible to ascertain the composition of such a class, the criminal prosecution cannot proceed.

While deciding the case, this Court placed reliance on the judgment of the House of Lords in *Knupffer Vs. London Express Newspaper Ltd.* (1944) 1 ALL ER 495, wherein it had been held that it is an essential element of the cause of action for defamation that the words complained of should be published "of the complainant/plaintiff". Where he is not named, the test would be whether the words would reasonably lead people acquainted with him to the conclusion that he was the person referred to.

In fact, it is the reputation of an individual person which must be in question and only such a person can claim to have "a legal peg for a justifiable claim to hang on".

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने एम०पी० नारायण पिल्लई एवं अन्य बनाम एम०पी० चाको एवं अन्य के मामले में निम्न मत व्यक्त किया है-

10- That leads us to the question whether the first respondent/complainant is an aggrieved person within the meaning of [Section 199](#) of the Cr. P.C. In order to settle that controversy we will have to look into [Section 499](#) of the I.P.C. which defines defamation. What is necessary is making or publishing any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that it will harm his reputation. There is admittedly no imputation made or published concerning the 1st respondent individually. Therefore, [Section 499](#) read along with the Explanation-2 alone could be considered. Under Explanation-2 it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such. Here, the imputations are said to be concerning Syrian Christian Community as such and the 1st respondent claims that as a member of that community he is also defamed and therefore he is an aggrieved person.

11- Here we are not concerned with any company but only with association or collection of persons as such. What Explanation-2 to [Section 499](#) IPC speaks of is an association or collection of people as such capable of being defamed. Such persons must be a definite and determinable body. Then only the imputations could be said to relate to its individual members or components. If only there is some definite body of persons capable of being identified, it could be said that the defamatory matter applies to all of them. Only if there is a definite association or Collection of persons capable of being identified it could be said that the imputation affects all of them and any member of the class could say that as a member of that class the imputation is against him also personally. When an indefinite and unascertainable body of people is defamed it may not be possible to single out individuals and say that they are also defamed. Imputations should be capable of being located as aimed at particular individuals or collection of individuals capable of being ascertained. The imputations must relate to all of them also. There cannot be defamation against a community as such. Community as such may not have a reputation, but the reputation will only be of individual members. When the defamatory matter affects each and every member of an ascertainable class or group each of them or all of them could set the law in motion. If actually a collection or class of people is ascertainable with definiteness it could be said that the specific group of persons as distinguished from the rest of the community-was defamed. Identity of the collection of the people will have to be established in relation to the defamatory imputations. Where persons in the association or collection as such are ascertainable and the words or imputations are shown to be against all the persons in the association or collection as such, any one of the members could make a complaint. The cardinal rule is that the offence consists in using language which others knowing the circumstances would reasonably think to be defamatory of the person complaining of and injured by it.

12- With these principles in view let us consider whether the case in hand specifies the test of Explanation-2 to [Section 499](#) of the I.P.C. The imputations are alleged to be against the Syrian Christian Community as a whole and the complaint was filed by the 1st respondent only in his capacity as a member of that community and not as a person who was individually affected by the imputations. His counsel represented that the question whether Syrian Christian Community is an identifiable group or not cannot be considered in a proceeding under [Section 482](#) of the Cr. P.C. and it has to be decided by the Magistrate on evidence during trial. Unfortunately, I am not able to subscribe to that view. Syrian Christians are an immigrant community which is a fluctuating mass, the members of which could be found throughout the world even though they are' mainly concentrated in Kerala. It is an unascertainable body of persons which cannot be brought within the meaning of association or collection of persons as such mentioned in Explanation-2 to [Section 499](#) of the I.P.C. In the decision in [G. Narasimhan v. T. V. Chokkappa](#) , the Chairman of the Reception Committee of a conference organised by the Dravida Kazhagam was the complainant. The complaint was in respect of a news item regarding a resolution passed in the meeting. The conference consisted of a large number of party sympathisers, leaders and outsiders. It was held, applying the test that collection of people must be identifiable, definite and determinate in relation to the imputations, that the

conference was not an identifiable or definite body so that all those who attended it could be said to be its constituents who, if the conference was defamed, would in their turn be said to be defamed. The complainant who was the Chairman of the Reception Committee of the conference was therefore held to be not an aggrieved person. In *Krishnaswami v. C. H. Kanaran*, 1971 Ker LT 145 the Marxist Communist Party as a collection of persons as such was held to be an unascertainable body. In *Raj Kapoor v. Narendra Desai* 1974 15 Guj LR 125 the imputations were against the Bhangi community in general. It was held that the imputations would not amount to defamation because they were not directed against any particular group or members of that community which could be identified. It was further observed in that decision:

There was no imputation against the complainant as an individual. If he felt that as a member of the Bhangi community, he was defamed, that would not entitle him to maintain a prosecution for defamation unless the imputation was against him personally.

13- The principle is squarely applicable to the facts of the present case also. In this case also the only allegation of the first respondent is that he is aggrieved by the defamatory imputation against his community and not against him individually. In *K. M. Mathew v. Balan*, 1984 Ker LT 893: (1985 Cri LJ 1039) the imputation was against some leaders of the teachers who were on strike. It was held that all the leaders will not suffer their reputation and a member of an unidentifiable group was not entitled to maintain an action. In this case even if Exts. P3 and P4 contained any defamatory imputations, since the allegation of the first respondent is only that they are against the Syrian Christian Community as a whole which is not an association or collection of an ascertainable body of persons, no member of the community could say that he was individually defamed. There are no defamatory words or imputations which could be said to have been levelled against the first respondent. It follows that he cannot claim to be an aggrieved person. Hence a complaint filed by him was incompetent under Section 199 of the Cr. P.C.

14- Even the alleged defamatory imputations are only against some among the Syrian Christian girls working abroad and some of the Syrian Christian ladies who became nuns. Probably their families also could be said to have been defamed. These girls or the ladies who became nuns or their families form only a section of the Syrian Christian Community which itself is unascertainable. They are only unascertainable and indefinite individuals or groups among the Syrian Christian Community. The complainant cannot say by any stretch of imagination that he will come within that group so that he could claim that he was individually defamed. There is no imputation against the Syrian Christian Community as such, even taking for granted that the first respondent was competent to file a complaint as a member of that community or on behalf of that community. Mother Theresa is a living Saint and even if there are defamatory words or imputations against her, the 1st respondent has no locus standi to file a complaint. Mere membership of the Syrian Christian Community which is said to have been defamed, does not render the 1st respondent a "person aggrieved".

माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वी० राधाकृष्णन एवं 6 अन्य बनाम अल्लारामा कृष्णा रेड्डी एवं अन्य के मामले में निम्नवत् मत व्यक्त किया है-

34- Aggrieved person means `troubled or distressed, having a grievance; adversely affected in respect of legal rights; suffers from an infringement or denial of legal rights. Therefore, the word aggrieved would be having different meanings at different connotations. It all depends upon facts and circumstances of each case.

35- The High Court of Madras had an occasion to decide who is person aggrieved in [R.Rajagopal @ R.R.Gopal and A.Kamaraj v. V.Sathyamoorthy](#) and adverted to various judgments of Apex Court and elaborated the word person aggrieved. In this context, it is profitable to refer [G.Narasimhan v. T.V.Chokkappa](#) the Apex Court held that [Section 499](#) of I.P.C. lays down that no Magistrate shall take cognizance of an offence falling inter alia under Ch.XXI of the Penal Code (that is, Sections 499 to 508) except upon a complaint made by some persons aggrieved of such offence. Section 199, thus, lays down an exception to the general rule that a complaint can be filed by anybody whether he is an aggrieved person or not, and modifies that rule by permitting only an aggrieved person to move a magistrate in cases of defamation. The section is mandatory, so that if a magistrate were to take cognizance of the offence of defamation on a complaint filed by one who is not an aggrieved person, the trial and conviction of an accused in such a case by the Magistrate would be void and illegal.

36- Similar view was expressed by the Delhi High Court in [Ganesh Nand Chela v. Swami Divyanand](#) , in the facts of case defamatory article was published in relation to a spiritual head of an ashram. A complaint was filed by one of the disciples and it was held that the complainant does not come under the category of person aggrieved, as he is only one of the disciples. It was also held that the complainant has not been able to prove that the imputations are against him personally, or that he is the person aimed at.

37- In [Prempal Singh v. Phool Singh](#) wherein spurious photographs of a mission was published depicting a false scene and consequently, they have held that a senior active member of the Mission, cannot be said to be a person aggrieved.

38- Likewise, the Calcutta High Court in [Dhirendra Nath Sen v. Rajat Kanti Bhadra](#) held that the spiritual head of certain community was defamed by publication and individual of that community is not an aggrieved person within the meaning of Section 199 Cr.P.C.

40- In the facts of [R.Rajagopal @ R.R.Gopal and A.Kamaraj v. V.Sathyamoorthy](#) a publication was made defaming Jayalalitha and alleged that Jayalalitha with the connivance of her party men have conducted the atrocities. The objection raised by the counsel is that Jayalilatha and her party men is an indeterminate body and hence no individual can prosecute the publisher for the said article placing reliance on [G.Narasimhan v. T.V.Chokkappa](#) (referred supra), wherein the Secretary of the office bearer can file a complaint. Similarly in [Sahib Singh v. State of Uttar Pradesh](#) , the Apex Court while discussing Explanation No.2 of Section 499, which covers a person including a collection of persons, held that the collection of persons must be identifiable in the sense that one could with certainly say that this group of particular people has been defamed

as distinguished from the rest of the community and further it has also been held that it is a matter of evidence.

41- Based on the principles of *G.Narasimhan v.T.V.Chokkappa* (referred supra) the Madras High Court concluded that the Secretary of a political party is competent to file the complaint when the allegation is made against the political party.

42- When a serious allegation is made against Marxist Communist Party by way of libel, the High Court of Kerala in *Krishnaswamy v. Kanaran* held that in the relevant imputation, apart from the fact that the Secretary of the Marxist Communist Party had been defamed, the consequence of which will be considered at a later stage, it could be said on the evidence on record that there had been no defamation of the complainant as a member of a large body of the Marxists or Leftists belonging to the Marxist Communist Party, either of India as a whole, or much less of the Kerala State. Therefore, Sri C.H. Kanaran is not Competent to file a complaint as a member of the Marxist Communist Party on the basis that the Party or the Marxists had been defamed as he was not able to point out that he was the person against whom the imputation was levelled in news item.

46- In the present case the allegation is that the petitioners defamed the Y.S.Jagan Mohan Reddy, President of Y.S.R.Congress Party. If the allegation is solely against the President, the President of the party alone is competent to file the complaint. But the imputations in the news items published on 15.05.2017 and 16.05.2017 are attracted only Y.S.R.Jagan Mohan Reddy, but not Y.S.R.Congress party except referring word YCP. No imputation is made against Y.S.R.Congress Party in any of the news item in Andhra Jyothi Daily News Paper, but the imputations are made against Y.S.Jagan Mohan Reddy. Therefore, the respondent No.1 being the member of Y.S.R.Congress party or important functionary without any designation in the party, cannot maintain the complaint in his individual capacity. The Secretary representing Y.S.R.Congress Party, he can file the complaint. But in the present case, the complaint was not filed representing Y.S.R.Congress Party, which is unidentifiable or indeterminate group.

47- In the earliest judgments in *Deobrat Shastri v. Rang Bahadur Singh*, *Municipal Board, Konch v. Ganesh Prasad Chaturvedi*, group defamation was discussed. In *Maung Chit Tay v. Maung Tun Nyuh* it was held that a Corporation may maintain a prosecution or an action for a libel affecting its property, but not for libel merely affecting personal reputation, as a corporation has no reputation apart from its property or trade. The words complained of must reflect on the management of its business and must injuriously affect the corporation, as distinct from the individuals who compose it. The alleged libel must attack the corporation in its method of conducting its affairs, must accuse it of fraud or mismanagement, or must attack its financial position.

48- If a person complains that he has been defamed as a member of a class he must satisfy the Court that the imputation is against him personally and he is the person aimed at, before he can maintain a prosecution for defamation. In short, the grievance of the complainant should not merely be the one shared by every member of an organised society. Where, therefore, the editor of a paper writes an editorial which is highly defamatory of the spiritual head of a certain community, an individual of that community is not an aggrieved person within the meaning of

Section 198, Criminal P.C. The mere fact that the feelings of a defamatory statement made against his religious head, affords him no ground under the law to prosecute the accused for defamation. (Vide: [Dhirendra Nath Sen and another v. Rajat Kanti Ehadra](#))

49- Thus, the action for defamation would not lie at the instance of unincorporated collection of individuals such as a political party or member's club. Such groups are merely classes of persons and there can be no libel on a class. In *Eastwood v. Halmes*, (1858) 1 F. & F. 347, Willes, J. Said: "If a man wrote that all lawyers were thieves, no particular lawyer could sue him unless there is something to point to the particular individual which there is not here." The statement that there is no libel on a class is really governed by the rule that the plaintiff must prove that the libel refers to him.

50- Therefore, individual is not entitled to file a complaint when an imputation is made against a group or class of persons. The word group defamation is defined in paragraph 6 of page 5 of the Laws of England by Halsbury, Third Edition, Volume 24 and it reads as follows:

Group defamation: A class of persons cannot be defamed as a class, nor can an individual be defamed by a general reference to the class to which he belongs (*Knupffer v. London Express Newspaper, Ltd.* (1944) A.C. 116, H.L. at P-124). A plaintiff may be able to show however, that, though the statement reflected on a class of persons, he was the person aimed at and defamed; in such a case an action will lie at his instance. (*Foxcroft v. Lacy* 1613), Hob.89). If the judge holds that the words complained of are reasonably capable of being understood to refer to the plaintiff (*Knupffer v. London Express Newspaper, Ltd.*, quoted above), the further question, whether they do refer to the plaintiff (*Knupffer v. London Express Newspaper Ltd.*, quoted above), is a question for the Jury (*Le Fanu v. Malcomson* (1848), I.H.L., Cas. 637).

51- In Kenny's outlines of Criminal Law, 19th Edition by J.W. Cecil Turner at page 235, the following passage is seen under the Head "Liable Against a class of persons, no tort.

There is no civil action for libelling a class of persons, if, as must usually be the case, its members are too numerous and unascertainable to join as plaintiffs in a litigation. But since, technically speaking, it is not by the persons injured, but by the queen, that criminal proceedings are carried on, an indictment will lie, provided only that the class defamed be not an indefinite (e.g. 'the men of science' 'the Socialists') but a definite one (e.c. 'the clergy of the diocese of Durham', *R.V. Williams* (1882) 5 B. and Ald. 595. Cf 2 *Swanston* 503, 'the justices of the peace for the country of Middlessex').

52- The law in respect to the defamation of a class of persons, as enunciated by Salmond is that in every case where the plaintiff is not named the test whether the words used refer to him is the question whether the words are such as would reasonably lead persons acquainted with the plaintiff to believe that he was the person referred to. If the words can be regarded as capable of referring to the plaintiff, the jury will have to decide the question, of fact--Do they lead reasonable people, who know him, to the conclusion that they do refer to him. The reason why a libel published of a large or indeterminate number of persons described by some general name generally falls to be actionable is the difficulty

of establishing that the plaintiff was, in fact, included in the defamatory statements, for the habit of making unfounded generalizations is ingrained in ill educated or vulgar minds, or the words are occasionally intended to be facetious exaggeration. Thus no action would lie at the suit of anyone for saying that all mankind is vicious and depraved or even for alleging that all clergymen are hypocrites or all lawyers dishonest. For charges so general in their nature are merely vulgar generalization. (Salmond & Heuston On the Law of Torts, Twentieth Edition, 150).

53- In *Knupffer v. London Express Newspaper Limited* it is held as follows:

There can be no law that a defamatory statement made of a firm, or trustees, or the tenants of a particular building is not actionable, if the words would reasonably be understood as published of each member of the firm or each trustee or each tenant. The reason why a libel published of a large or indeterminate number of persons described by some general name generally fails to be actionable is the difficulty of establishing that the plaintiff was, in fact, included in the defamatory statement, for the habit of making unfounded generalisations is ingrained in ill-educated or vulgar minds, or the words are occasionally intended to be a facetious exaggeration. Even in such cases words may be used which enable the plaintiff to prove that the words complained of were intended to be published of each member of the group, or, at any rate, of himself.

54- Again, the High Court of Madras in *P.Varadarajan v. G.K.Mani, Member of Legislative Assembly* had an occasion to analyze the word some person aggrieved under Section 199 of Cr.P.C. held that the collocation of the words "by some persons aggrieved" in Section 199 definitely indicates that the complainant need not necessarily be the defamed person himself, and whether the complainant has reason to feel hurt on account of the publication is a matter to be determined by the court depending upon the facts of each case. Defamatory imputation against a collection of persons falls within the definition of defamation, but such a collection of persons must be an identifiable body, so that it is possible to say with definiteness that a group of particular persons, as distinguished from the rest of the community, was defamed.

55- In the facts of the above judgment, the complainant is the President of 'Pattali Makkal Katchi' (hereinafter referred to 'P.M.K.'). The accused are the Chairman and Managing Director, Publisher, Printer, Reporter and Photographer of the Tamil bi- weekly 'Kumutham' Reporter. In the issue dated 20.10.2005 of Kumutham Reporter Tamil bi-weekly it has been alleged that Indian Red Cross Society received Rs.50 crores from Foreign Red Cross Societies. The said amount collected for the purpose of spending for the welfare of the Tsunami victims is kept unspent due to the inaction on the part of Dr. Anbumani Ramadoss, Central Minister for Health and Family Welfare and also the Chairman of the Indian Red Cross Society. One Nagalakshmi, the victim of Tsunami, who was found loitering in the railway station with begging bowl committed suicide as she could not get any relief from the Tsunami relief fund. Basing on that allegation, the Dr.Anbumani Ramadoss being the organizing secretary of P.M.K.Party, who was nominated and elected as a member of the Rajya Sabha on being proposed by the complainant and supported by the other P.M.K M.L.A's of Tamil Nadu. He was consequently designated as the Chairman of All India Red Cross Society. An imputation was made against him. Therefore, a complaint was filed by

G.K.Mani, Member of Legislative Assembly, for the offence punishable under Section 500 of I.P.C. and the same was questioned before the High Court under Section 482 of Cr.P.C.

56- The High Court of Madras relying on [John Thomas v. Dr.K.Jagadeesan](#) (referred supra) and [R.Rajagopal @ R.R.Gopal and A.Kamaraj v. V.Sathyamoorthy](#) (referred supra) expressed its opinion that when the imputations found in the article under challenge do not relate to the complainant or his political party. There is no allegation of the political activity of Dr. Anbumani Ramadoss in the aforesaid article. As there is no defamatory imputation levelled against the political party of the complainant and Dr. Anbumani Ramadoss, the complainant cannot claim that he falls squarely under the category of "some persons aggrieved" by the offence of defamation. PMK was not the target of attack in the article which is put to test. Therefore, the respondent/complainant who is the President of PMK has no locus standi to prefer the complaint for an offence under [Section 500](#) of the Indian Penal Code.

57- Earlier the High Court of Calcutta in [Kalyan Bandyopadhyay v. Mridul De](#) a serious allegation was made against Sri Buddhadeb Bhattacharyya, the then Chief Minister that if he becomes the Prime Minister of India - India will be submerged. He's taking the rounds of Nandan in dhuti Panjabi (Kurta), let him go around Nandan, have a little scotch etc. in the evenings, let it be limited to that bit, so that he can dream a little scotch etc. in future, if he begins to dream beyond that then his dhuti will go and also his panjabi."

58- The tone and tenor of the person, who made contemptuous and irrelevant statement towards the then Chief Minister of West Bengal Mr. Buddhadeb Bhattacharyya in particular, and to a lesser extent also towards the CPI (M) which was the ruling party at the relevant time. Then the question before the Court was that whether Kalyan Bandyopadhyay was a person aggrieved. When the complaint itself clearly makes out the case that the entity against whom the alleged defamatory or derogatory statements were made is a political party [CPI (M)] which is not a 'determinate, definite and identifiable body', and so the proceedings at the instance of an individual member of the party are not tenable as he has not been individually defamed.

59- The High Court of Calcutta referred the judgment in [Krishnaswamy v. Kanaran and G.Narasimhan v.T.V.Chokkappa](#) (referred supra) "[Balasaheb Keshav Thackeray v. State of Maharashtra and Anr.](#)" [Ganesh Nand Chela v. Swami Divyanand](#), (referred supra) [Vijay v. Suresh](#) , [M.P. Narayana Pillai v. M.P. Chacko](#) , [Dhirendra Nath Sen v. Rajat Kanti Bhadra](#) (referred supra) and held that the petitioner herein by his derogatory statements caused defamation of the Communist Party of India (Marxist). The only identifiable member of that particular political party in the entire complaint happens to be Mr. Buddhadev Bhattacharya, the Chief Minister of West Bengal at the relevant time. The High Court of Calcutta held regarding the alleged defamation of the political party, relying on the law declared by various Courts [referred above](#), is in respectful agreement with the decision of the Kerala High Court that the Communist Party of India (Marxist) is not a determinable, definite or identifiable body or association of such nature that each and every member of the same stands to get individually defamed when an insinuation is made against the party as a whole.

The Complainant therefore cannot be held to be defamed individually, and consequently is not an "aggrieved person" and quashed the proceedings.

60- In view of the long line of judgments referred supra, to file a complaint for the offence punishable under [Section 500](#) and [501](#) of I.P.C. the person must be an aggrieved person, who felt hurt or pain on account of such defamatory statement, but an individual representing a group cannot maintain a complaint against any individual or unidentifiable or indeterminate group of persons.

61- When similar question came up before the Apex Court in [S.Khushboo v. Kanniammal](#), in the facts of the above judgment S.Khushboo made a specific comment that women are indulged in pre-marital sex, but some of the associations filed several complaints against Smt.Khushboo and she filed applications before High Court under [Section 482](#) of Cr.P.C., but those petitions were dismissed on various grounds. Then the matter carried to Supreme Court, where the Supreme Court considered the purport of Section 199 (1) of Cr.P.c. and concluded that [Section 199](#) Cr.PC mandates that the Magistrate can take cognizance of the offence only upon receiving a complaint by a person who is aggrieved. This limitation on the power to take cognizance of defamation serves the rational purpose of discouraging filing of frivolous complaints which would otherwise clog the Magistrate's Courts. There is of course some room for complaints to be brought by persons other than those who are aggrieved, for instance when the aggrieved person has passed away or is otherwise unable to initiate legal proceedings. However, in given facts of the present case, the High Court unable to see how the complainants can be properly described as 'persons aggrieved' within the meaning of [Section 199 \(1\) \(b\)](#) Cr.PC. As explained earlier, there was no specific legal injury caused to any of the complainants since the appellant's remarks were not directed at any individual or a readily identifiable group of people.

62- In [M.S. Jayaraj v. Commissioner of Excise, Kerala](#) the Apex Court had an occasion to analyze the word person aggrieved and held as follows:

The 'person aggrieved' means a person who is wrongfully deprived of his entitlement which he is legally entitled to receive and it does not include any kind of disappointment or personal inconvenience. 'Person aggrieved' means a person who is injured or one who is adversely affected in a legal sense.

63- In a similar question came up for consideration before Patna High Court in [Asha Parekh v. The State of Bihar](#) where Patna High Court dealt with a case where a group of lawyers had filed a defamation case against the actors, the actress, the director, the producer, the script. writer, etc., of the movie Nadan. The case before this Court is, in fact, is identical in its content. In that case, the complainant alleged that one of the characters had played the role of an advocate and that there were defamatory statements made against the lawyers as a class. The Patna High Court while deciding the case, observed that the essence of the offence of defamation consists in calling that description of pain which is felt by a person who knows himself to be the object of the unfavourable sentiments of his fellow creatures and those inconveniences to which a person who is the object of such unfavourable sentiment is exposed, therefore, complaint must contain an imputation concerning some particular person or persons whose identity can be established. If they contain no reflection upon a particular individual or

individuals, but equally apply to others although belonging to the same class, an action for defamation will not lie. Further, although the word 'person' in Section 499 of the Code includes a company or an association or a collection of persons as well as provided in explanation 2 of Section 499, but the class of person attributed to must be a determinate body. Y.S.Jagan Mohan Reddy is an individual, but not the party as a class, is incapable of being defamed. If any publication can be shown to refer specifically to particular individuals then alone an action for defamation may lie, not otherwise.

64- Relying on [Asha Parekh v. The State of Bihar](#) (referred supra) the Rajasthan High Court in [Shah Rukh Khan v. State of Rajasthan](#) actor Shah Rukh Khan played the role of an advocate in the movie and some of the dialogues were defamatory against the community of lawyers practicing in India. It was claimed by the advocates community that because of the said dialogue, the respondents were subjected to ridicule and anger from those who were sitting in the movie theatre. The advocates also alleged that their neighbours also ridiculed them as well.

Therefore, filed complaint against Mr. Shah Rukh Khan and others for defaming the lawyers community practicing in India. After considering the facts and circumstances of the case, Rajasthan High Court held that the law requires that the defamatory statement, in order to be actionable, be made against a definite and an identifiable group. However, lawyers taken as a class cannot be identified with any particular individual-indeterminate, indefinite, and unidentifiable as the members are: Firstly, the members of this class are too varied to be reduced to a few traits. There is not a homogenous class, but a heterogeneous one, made up of wonderfully different individuals. Secondly, they are spread over the length and the breadth of the land. Thirdly, the class is always in flux, ever changing, as new lawyers enter and old ones depart from the profession. The entire members of the class are clearly unidentifiable and indeterminable. Moreover, it is not the case of the respondent No. 2 to 7, that the Petitioner said anything specific about the lawyers of Kota, who arguably would form a definite collection of persons. The remark made by the petitioner was applicable to the lawyers as a community. Thus, a group of lawyers could not file a complaint against the petitioner for offence Under Section s 499 and 500 [IPC](#). Therefore, the complaint is not even maintainable.

65- The Rajasthan High Court distinguished the facts of the case [Shah Rukh Khan v. State of Rajasthan](#) and [Sahib Singh Mehra v. State of U.P.](#) . The learned Counsel for the respondents Nos. 2 to 7 in the said case has relied on the case of [Sahib Singh Mehra](#) (supra) in order to argue that a group of lawyers can, indeed, file a complaint for the offence of defamation. But the said case is clearly distinguishable from [Shah Rukh Khan](#) case on the basis of factual matrix. In the case of Sahib Singh Mehra, the publisher had published an article defaming the Public Prosecutors and Assistant Public Prosecutors working in Aligarh. Thus, the Supreme Court held that the Public Prosecutors of Aligarh formed a definite and identifiable group of persons. Hence, any one of them can file a complaint against the publisher of the defamatory article. However, in the present case, the alleged statement has not been made specifically against any member of political party. The Rajasthan High Court came to a conclusion that since the statement has been made against the lawyers as a class, the case of [Sahib Singh Mehra](#) (supra)

cannot be relied upon. But here, in the present case, the defamation of Y.S.Jagan Mohan Reddy or Y.S.R. congress party as a whole is not an identifiable group, since the Y.S.R.Congress party spread over the State. If such defamatory imputation is against any group i.e. member of Y.S.R.Congress Party in particular village or town or District, the respondent No.1 being one among them can be an aggrieved person.

66- Thus, action for group defamation of an unidentifiable group would not lie in a Criminal Court. According to Explanation No. (2) of [Section 499 IPC](#), defamation is not restricted to an individual alone; it may also be committed against "a company or an association or collection of persons". However, the association or collection of persons should be definite and identifiable. In 1858, in the case of *Eastwood v. Hollmes* Willie J. observed that If a man wrote that all lawyers were thieves, no particular lawyer could sue him unless there is something to point to the particular individual."

माननीय न्यायालय की उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित मतों का सार तत्व यह है कि जहाँ व्यक्तियों के समूह या वर्ग या संगठन के सम्बन्ध में लांछन लगाया जाता है तो वहाँ ऐसी स्थिति में व्यक्तियों का ऐसा समूह निश्चित एवं पहचान योग्य होना चाहिये, जिससे कि निश्चितता के साथ कहा जा सके कि विशिष्ट व्यक्तियों के एक वर्ग, जो कि शेष समुदाय से भिन्न है, की मानहानि हुयी। यदि वर्ग अनिश्चित है तो परिवाद पोषणीय नहीं होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय को निर्धारित करना है कि प्रकाशन के कारण परिवादी को क्षति/अपहानि को महसूस करने का पर्याप्त आधार है या नहीं। यदि व्यथित व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के परिवाद पर न्यायालय संज्ञान लेती है तो ऐसी स्थिति में विचारण और दोषसिद्धि दोनों ही शून्य एवं अवैध होगा। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसे किसी वर्ग के रूप में मानहानि का शिकार बनाया गया है तो मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले उसे न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि लांछन व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध लगाया गया है और वह वही व्यक्ति है, जिसे निशाना बनाया गया है। यह अत्यंत आवश्यक है कि आरोप को किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा सके।

माननीय न्यायालय के उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-199 में विहित प्रावधानों के दृष्टिगत, प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये जाने पर यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अभिकथित वक्तव्य/लांछन व्यक्तिगत रूप से परिवादी के विरुद्ध नहीं है और न ही उसमें परिवादी के प्रति कोई संदर्भ या निर्देश है। परिवादी ने न तो अभिवचित किया है और न ही साबित किया है कि वह एक निश्चित एवं पहचान योग्य वर्ग या व्यक्तियों के समूह का सदस्य है। परिवादी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाद दाखिल करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति भी नहीं है। उक्त वक्तव्य न तो परिवादी के प्रति है और न ही एक निश्चित एवं पहचान योग्य ऐसे व्यक्तियों के समूह या वर्ग के प्रति है, जो कि शेष समुदाय से भिन्न है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों की पृष्ठभूमि में, न्यायालय की राय में परिवादी द०प्र०सं० की धारा-199 में परिकल्पित व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है।

32- तृतीय बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उक्त अभिकथित वक्तव्य/लांछन किये जाने की तिथि पर अमित शाह किसी भी सक्षम अधिकारी वाले न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी भी मामले में अभियुक्त नहीं थे। न्यायाधीश लोया की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्वतंत्र जाँच कराये जाने हेतु प्रस्तुत याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 19.04.2018 के आदेश द्वारा स्वतंत्र जाँच कराये

जाने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी है एवं न्यायाधीश लोया की मृत्यु को स्वाभाविक माना है, किन्तु विपक्षी जानबूझकर राजनैतिक लाभ की दृष्टि से एवं अपमानित करने के आशय से झूठा आरोप लगाया है। विपक्षी इस प्रकार के मानहानिकारक लांछन लगाने हेतु पहले भी दोषसिद्ध हो चुका है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल मामले में विपक्षी राहुल गाँधी को भाषा में संयम रखने की चेतावनी दी है। अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

33- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्क के खण्डन में यह तर्क दिया है कि अभियुक्त राहुल गाँधी के बयान को तोड़-मड़ोरकर प्रसंग से अन्यथा चुनिंदा रूप से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त तत्समय भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था एवं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक-साम्प्रदायिक सद्भाव के मुद्दों को उठाकर विचार-विमर्श कर रहा था। स्वस्थ एवं जीवंत लोकतंत्र में सरकार की नीतियों एवं कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुये अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा था, जो कि आवश्यक है। सम्पूर्णतः से पढ़ने पर उक्त कथन मात्र एक राजनैतिक व्यक्ति की राजनीतिक आलोचना की प्रकृति का है, जो कि चुनावी संवाद के दौरान दिये गये भाषण का अंश है एवं पूर्व से ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध लोक अभिलेख में निहित तथ्यों पर आधारित है।

34- विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रेतर यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी स्थिति में, विवादित कथन विधि की दृष्टि में मानहानिकारक नहीं है। कथन का कथित सार यह है कि अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया गया था और इस तथ्य का उनकी सार्वजनिक विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। यह अनुमान का विषय नहीं है, बल्कि निर्विवाद सार्वजनिक अभिलेख का विषय है। विशेष रूप से, जब किसी उच्च पदस्थ सार्वजनिक व्यक्ति के पूर्ववृत्त के विषय में सत्य कहा जाता है एवं सार्वजनिक विमर्श के उद्देश्य से कहा जाता है तो यह धारा-499 की प्रथम एवं नवम अपवाद के तहत पूर्ण बचाव होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (सिविल सं०-19/2018) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 में सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस का उल्लेख है तथा उस केस की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश लोया की मृत्यु का उल्लेख है। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले का सम्बन्ध अमित शाह से रहा है। उक्त कथन सार्वजनिक एवं न्यायिक बहस का विषय रहने वाले प्रकरण के संदर्भ में हुयी बहस में उचित रूप से दिया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित है। यह विधिक मान्यता है कि सार्वजनिक हस्तियों की कड़ी निगरानी की जाती है एवं उनके सार्वजनिक आचरण पर तथ्यों पर आधारित सद्भावपूर्वक किये गये कथन, आपराधिक

दायित्व के दायरे में नहीं आते। इस प्रकार, आरोपित अभिकथन एक संरक्षित राजनैतिक भाषण है, जो बिना दुर्भावना के एवं वैध सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है और मानहानि के लिये सजा का आधार नहीं बन सकता। अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

35- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित अभिकथन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रेस वार्ता में दिया जाना स्वीकृत है। विपक्षी द्वारा उसे तोड़-मड़ोरकर चुनिंदा रूप से संदर्भ से अन्यथा उद्धृत किया जाना अभिकथित किया गया है। उपरोक्त बयान से सम्बन्धित वीडियो की सीडी पत्रावली पर दाखिल है तथा उपरोक्त वीडियो यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध होने का कथन किया गया है। अतः सम्पूर्ण संदर्भ को समझने के लिये यू-ट्यूब पर उपलब्ध उक्त बयान से सम्बन्धित वीडियो का अवलोकन किया गया। उक्त वीडियो यू-ट्यूब पर <https://youtu.be/ZrzR0Lh80FE?si=Lx7wrbqx849ahiy3> उपलब्ध है, जो लगभग तीन मिनट बावन सेकण्ड का है। उपरोक्त बयान के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त राहुल गाँधी द्वारा कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रेस वार्ता में रोजगार, विकास, किसान कर्ज माफी, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुये उत्तर/जवाबदेही की माँग की जा रही है। इसी क्रम में, प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार द्वारा विशिष्ट रूप से यह प्रश्न पूछा जाता है कि **"अमित शाह ने बोला है कि येदियुरप्पा के खिलाफ राहुल गाँधी आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुयी है और रेड्डी ब्रदर्स जिन्हें टिकट मिला है"** तो इस प्रश्न के उत्तर में अभियुक्त राहुल गाँधी द्वारा यह कथन किया गया है कि **"Amit Shah has been accused of murder. The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case, so I don't think Amit Shah has a lot of credibility. Let's look into his background. Let's see what he is responsible for? Let's see how he does politics and also don't forget that he is a murder accused. This is fundamental. People of India forget that the President of the BJP is a murder accused. That's the truth. The Party that talks about honesty, decency, has a person who has been accused of murder and he is President."**

36- अभियुक्त राहुल गाँधी के उपरोक्त अभिकथनों के सम्यक परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियुक्त राहुल गाँधी द्वारा कर्नाटक विधानसभा के चुनावी अभियान के दौरान प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्रश्न पूछे जाने पर उपरोक्त अभिकथन किया गया है तथा उपरोक्त अभिकथन मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता के परिप्रेक्ष्य में किया

जाना प्रकट हो रहा है। विवादित अभिकथनों से तुरंत पूर्व प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी राहुल गाँधी द्वारा कर्नाटक में बेरोजगारी, रोजगार के अवसर, विकास, भ्रष्टाचार, किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को उठाया जा रहा है। पत्रकार द्वारा विशिष्ट रूप से अमित शाह का उल्लेख करते हुये प्रश्न पूछे जाने पर उनकी विश्वसनीयता के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त अभिकथन किया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट हो रहा है। चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक व्यक्तियों के बीच एक-दूसरे की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुये सामान्यतया बयान दिये जाते हैं। इसमें अस्वाभाविक कोई बात नहीं होती, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र की यह एक आवश्यक प्रसंगति मानी जाती रही है।

37- यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त अभिकथन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष द्वारा दूसरी सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के संदर्भ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान किया गया है तथा उपरोक्त अभिकथन से व्यथित होकर परिवाद दाखिल करने वाला व्यक्ति अर्थात् परिवादी भी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है एवं उक्त वीडियो दिखाने वाले व्यक्ति तथा वीडियो दिखाते समय परिवादी के साथ घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्ति/प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण भी भाजपा/उसी राजनीतिक पार्टी के सक्रिय सदस्य है अर्थात् यह स्थापित तथ्य है कि इस मुकदमे से सम्बन्धित सभी व्यक्ति अर्थात् परिवादी, साक्षीगण, अभिकथित व्यथित व्यक्ति, अभियुक्त सभी व्यक्ति राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं।

38- अभियुक्त द्वारा दिये गये उपरोक्त विवादित अभिकथन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोया केस का जिक्र आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा इससे सम्बन्धित संसक्त मामले रिट याचिका सिविल सं०-19/18 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.04.2018 के सादर परिशीलन से विदित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस की सुनवाई करने वाले सीबीआई न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश लोया की दुर्भाग्यपूर्ण आसमयिक निधन की परिस्थितियों की स्वतंत्र जाँच की माँग करने वाली रिट याचिकाओं/पी०आई०एल० को खारिज करते हुये न्यायाधीश लोया की मृत्यु को स्वाभाविक माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में विस्तारपूर्वक सभी सुसंगत परिस्थितियों एवं घटनाक्रम का उल्लेख किया है तथा इस सम्बन्ध में कारवां मैगजीन में दिनांक 20.11.2017 एवं 21.11.2017 को प्रकाशित लेख का भी उल्लेख किया है। आदेश में शोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अन्य अभियुक्तों के साथ प्रमुख अभियुक्त गुजरात राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। यद्यपि कि शोहराबुद्दीन केस का विचारण करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दिनांक 30.12.2014 को

आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद न होने के आधार पर अभियुक्त अमित शाह को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया जा चुका है। कालांतर में शेष अभियुक्तगण को भी गुण-दोष पर विचारण करते हुये उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि शोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस सामाजिक-राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्र में एक बहुचर्चित केस रहा है, जिसकी सुनवायी करने वाले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश लोया की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु दिनांक 01.12.2024 को हो गयी तथा उक्त मामले में दिनांक 30.12.2024 को प्रमुख अभियुक्त रहे अमित शाह को उन्मोचित किया गया। मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में कारवां मैगजीन एवं अन्य समाचार-पत्रों के खोजी पत्रकारों द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण कर मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में लेख प्रकाशित किया गया, जिससे यह मामला पुनः एक बार सार्वजनिक एवं राजनैतिक चर्चा का विषय बना। उक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान को विचारित किया जाना उपयुक्त होगा।

39- विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों के बीच सार्वजनिक परिचर्चा के सम्बन्ध में किये गये किसी अभिकथन को मानहानि की कोटि में लाने के लिये विधि द्वारा अपेक्षित मानदण्ड, सामान्य मामलों की अपेक्षा अधिक सख्त/उच्च कोटि/Higher Degree Threshold का होना चाहिये। इसी प्रकार, का मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविन्द केजरीवाल एवं अन्य बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 में व्यक्त किया है। जो कि निम्नवत् है-

7- **In a democratic nation like India, freedom of speech is a fundamental right guaranteed under article 19 (1) (a) of the constitution. Therefore, A defamatory complaint under section 499 of the IPC must necessarily be made by an aggrieved person under section 199 of the Crpc. As such, the threshold has to be higher than usual, specially in context of public discourse amongst political personalities and parties.**

8- Some understanding on the threshold level required for attracting charges of defamation can be gathered by perusing the ratio in [S. Khushboo v. Kanniammal & Anr.](#) reported in (2010) 5 SCC 600. In particular, the following paragraph of the aforementioned judgment is relevant: “44. We are of the view that the institution of the numerous criminal complaints against the appellant was done in a mala fide manner. In order to prevent the abuse of the criminal law machinery, we are therefore inclined to grant the relief sought by the appellant. In such cases, the

proper course for Magistrates is to use their statutory powers to direct an investigation into the allegations before taking cognizance of the offences alleged. It is not the task of the criminal law to punish individuals merely for expressing unpopular views. The threshold for placing reasonable restrictions on the “freedom of speech and expression” is indeed a very high one and there should be a presumption in favour of the accused in such cases. It is only when the complainants produce materials that support a prima facie case for a statutory offence that Magistrates can proceed to take cognizance of the same. We must be mindful that the initiation of a criminal trial is a process which carries an implicit degree of coercion and it should not be triggered by false and frivolous complaints, amounting to harassment and humiliation to the accused.”

9- Additionally, in the context of defamation, the Court had observed the following in [Subramanian Swamy v. Union of India, Ministry of Law & Ors.](#) reported in (2016) 7 SCC 221:

“198. The said provision is criticised on the ground that “some person aggrieved” is on a broader spectrum and that is why, it allows all kinds of persons to take recourse to defamation. As far as the concept of “some person aggrieved” is concerned, we have referred to a plethora of decisions in course of our deliberations to show how this Court has determined the concept of “some person aggrieved”. While dealing with various Explanations, it has been clarified about definite identity of the body of persons or collection of persons. In fact, it can be stated that the “person aggrieved” is to be determined by the courts in each case according to the fact situation. It will require ascertainment on due deliberation of the facts. In [John Thomas v. K. Jagadeesan](#) [[John Thomas v. K. Jagadeesan](#), (2001) 6 SCC 30 : 2001 SCC (Cri) 974] while dealing with “person aggrieved”, the Court opined that the test is whether the complainant has reason to feel hurt on account of publication is a matter to be determined by the court depending upon the facts of each case. In [S. Khushboo](#) [[S. Khushboo v. Kanniammal](#), (2010) 5 SCC 600 : (2010) 2 SCC (Cri) 1299], while dealing with “person aggrieved”, a three-Judge Bench has opined that the respondents therein were not “person aggrieved” within the meaning of [Section 199\(1\) CrPC](#) as there was no specific legal injury caused to any of the complainants since the appellant's remarks were not directed at any individual or readily identifiable group of people. The Court placed reliance on [M.S. Jayaraj v. Commr. of Excise](#) [[M.S. Jayaraj v. Commr. of Excise](#), (2000) 7 SCC 552] and [G. Narasimhan](#) [[G. Narasimhan v. T.V.](#)

[Chokkappa](#), (1972) 2 SCC 680 : 1972 SCC (Cri) 777] and observed that if a Magistrate were to take cognizance of the offence of defamation on a complaint filed by one who is not an “aggrieved person”, the trial and conviction of an accused in such a case by the Magistrate would be void and illegal. Thus, it is seen that the words “some person aggrieved” are determined by the courts depending upon the facts of the case. Therefore, the submission that it can include any and everyone as a “person aggrieved” is too specious a submission to be accepted.”

10- As is discernible from the above, the threshold for placing reasonable restrictions on the freedom of speech and expression is indeed very high. Additionally, as is evident in [S. Khushboo](#) (supra), there exists a presumption in favour of the accused.

40- प्रस्तुत प्रकरण की उपर्युक्त विधिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त राहुल गाँधी द्वारा दिये गये उक्त अभिकथित बयानों को विचारित किये जाने पर न्यायालय के विचारपूर्ण राय में अभियुक्त द्वारा किया गया अभिकथन राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों के संदर्भ में विधि द्वारा अपेक्षित सामान्य से अधिक उच्च स्तर/कोटि/Higher Degree Threshold का नहीं है, जो कि उसके कथन को मानहानि की कोटि में ला सके या मानहानिकारक बना सके।

41- प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्यों/घटनाक्रम पर सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की दृष्टि से भी विचार करने पर कुछ ऐसे पहलू परिलक्षित होते हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिवाद भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा द्वारा दाखिल किया गया है। परिवादी को अभिकथित वक्तव्य/लांछन वाली वीडियो उसके दो शुभचिंतक दिनेश व अनुरुद्ध शुक्ला द्वारा दिखाया गया है तथा वीडियो दिखाते समय रामचन्द्र दूबे एवं अनिल मिश्रा को भी बतौर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपस्थित रहने एवं वीडियो देखने का कथन किया गया है अर्थात् परिवादी एवं वीडियो दिखाने वाले एवं वीडियो देखने वाले, सभी व्यक्ति भाजपा के पदाधिकारी/सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उक्त सभी व्यक्ति आज की तिथि में भी भाजपा कार्यकर्ता हैं। यह तथ्य परिवादी एवं गवाहों ने अपनी-अपनी जिरह में स्वीकार किया है। विचारणीय तथ्य यह है कि उक्त अभिकथित वीडियो देखकर केवल परिवादी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। परिवाद कथानक में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि वीडियो दिखाने वाले एवं वीडियो देखने वाले अर्थात् दिनेश कुमार, अनुरुद्ध शुक्ला, अनिल मिश्रा एवं रामचन्द्र दूबे ने भी वीडियो देखकर स्वयं को अपमानित महसूस किया, जबकि उक्त सभी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता काफी समय पूर्व से आज तक भी हैं। यह तथ्य प्रथमदृष्टया स्वाभाविक प्रकट नहीं हो रहा है एवं इस निष्कर्ष को इंगित करता है कि या तो परिवादी अतिसंवेदनशील प्रकृति का है या फिर प्रस्तुत परिवाद राजनैतिक या अन्यथा हेतुक से प्रेरित होकर संस्थित किया गया है। जैसा कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। परिवादी एवं गवाहों द्वारा मौखिक परीक्षा/जिरह के दौरान किया गया यह कथन भी इस निष्कर्ष को बल प्रदान करता है कि इस मुकदमे के सम्बन्ध में मीडिया एवं टीवी चैनलों द्वारा परिवादी का इण्टरव्यू लिया जाता है एवं वह पूरे देश में चलता है तथा समचार-पत्रों में भी प्रकाशन होता है।

42- परिवाद कथानक में परिवादी द्वारा किया गया यह कथन भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा दिया गया उपरोक्त झूठा मानहानिकारक आरोप अमित भाई शाह भाजपा और

परिवादी जैसे पदाधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं एवं दूसरों के अनुमान में परिवादी के नैतिक चरित्र को कम कर दिया है। परिवादी एक पदाधिकारी है और प्रथमदृष्टया मामला बनता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह परिलक्षित होता है कि उक्त कथन में परिवादी के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई अभिकथन/लांछन नहीं लगाया गया है, बल्कि मुख्य रूप से अमित भाई शाह के सम्बन्ध में अभिकथन किया गया है एवं अधिक-से-अधिक कहें तो उक्त अभिकथन का कुछ अंश भाजपा के संदर्भ में किया गया है। परिवादी ने भाजपा के पदाधिकारी होने के नाते स्वयं को व्यथित मानते हुये परिवाद दाखिल किया है। जहाँ तक दूसरों के अनुमान में परिवादी के नैतिक चरित्र को कम करने का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद में परिवादी एवं सभी गवाह भाजपा के ही सदस्य हैं। परिवादी ने किसी भी समाज के स्वतंत्र सदस्य को परीक्षित नहीं कराया है और न विशिष्ट रूप से अभिकथित किया है। परिवाद में संगठन के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को वीडियो दिखाकर अपमानित करने का कथन किया गया है, जबकि परिवादी के साथ वीडियो देखने वाले साक्षीगण रामचन्द्र दूबे एवं अनिल मिश्रा ने स्वयं को अपमानित महसूस करने का कोई अभिकथन नहीं किया है। अतः परिवाद में वर्णित तथ्यों की पृष्ठभूमि में धारा-499 भारतीय दण्ड संहिता का चतुर्थ स्पष्टीकरण भी सुसंगत एवं आकृष्ट होता है, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी लांछन किसी भी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि नहीं करता है, जब तक कि वह लांछन दूसरों की नजरों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवादी की नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता। प्रस्तुत प्रकरण में दूसरों के अनुमान में परिवादी के नैतिक एवं बौद्धिक चरित्र को कम होने के तथ्य के साक्ष्य का सर्वथा अभाव है, क्योंकि परिवादी एवं परीक्षित गवाह सभी एक ही संगठन के सदस्य हैं एवं समान धरातल पर हैं।

43- जहाँ तक भाजपा के पदाधिकारी होने के आधार पर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने के तर्क का प्रश्न है तो इस संबंध में विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट है कि परिवादी भाजपा द्वारा इस हेतु प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है एवं इस आशय का कथन भी नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिये क्षण मात्र के लिये भी परिवादी का यह तर्क स्वीकार किया जाय कि भाजपा के पदाधिकारी होने के नाते परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार है तो इस तर्क के आधार पर भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अभिकथित वक्तव्य/लांछन हेतु वाद लाने का अधिकार प्रदान करना/प्राप्त होगा, जोकि न्यायालय की राय में असंख्य वादों/बहुवादों की स्थिति को उत्पन्न करेगा। विधि शासित सभ्य समाज में इस प्रकार की कोई भी अवधारणा जो बहुवाद को जन्म देती है/समर्थन करती है, वह विधि एवं न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती एवं विशेष रूप से,

आपराधिक मानहानि हेतु कार्यवाई के संदर्भ में द०प्र०सं की धारा-199 में विहित प्रावधान के दृष्टिगत, तो कत्तई स्वीकार नहीं की जा सकती।

44- परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी एवं उसके द्वारा प्रस्तुत गवाह रामचन्द्र दूबे एवं अनिल मिश्रा की मौखिक परीक्षा/जिरह के दौरान दिये गये बयानों में गम्भीर एवं तात्त्विक विरोधाभासों का उल्लेख किये बिना अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं होगा। परिवादी ने जिरह में यह कथन किया है कि वर्ष 2003 से पयागीपुर में मकान बनाया है तथा परिवार संग पयागीपुर में भी रहता है एवं उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमों में आरोप पत्र में परिवादी के निवास का पता पयागीपुर अंकित है, किन्तु प्रस्तुत परिवाद की घटना अपने मूल निवास कपिसा मिश्र का पुरवा, मजरे जुड़ारा थाना-को० देहात अभिकथित किया है। जिरह में परिवादी यह भी बता पाने में असमर्थ रहा है कि प्रस्तुत परिवाद किस अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जनपद सुलतानपुर में सीडी बनवाने का कथन किया है, किन्तु किस जगह बनवाया है, यह बता पाने में असमर्थ रहा है। थानाध्यक्ष व एस०पी० को प्रेषित रजिस्ट्री रसीद भी पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभिकथित लांछन वाली वीडियो दिनांक 15.07.2018 को दिनेश व अनुरुद्ध द्वारा दिखाये जाने का कथन किया है। उसके पूर्व उक्त वीडियो न देखने का कथन किया है। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभिकथित वक्तव्य प्रेस वार्ता में दिनांक 08.05.2018 को किया गया, किन्तु उसके दो माह एक सप्ताह बाद उक्त वीडियो की जानकारी परिवादी को सर्वप्रथम होती है एवं वह भी उसके दो शुभचिंतकों द्वारा दिखाये जाने पर, जबकि परिवादी स्वयं को भाजपा का जिला उपाध्यक्ष तथा अपनी प्रतिष्ठा एवं पार्टी तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े होने का अभिकथन करता है।

45- इसी प्रकार, साक्षी पी०डब्लू०2 अनिल मिश्रा ने अपनी जिरह में संयोगवश घटना के दिन, दिन में 10 बजकर 30 मिनट पर लोहरामऊ में रामचन्द्र से मुलाकात होने एवं अपनी-अपनी मोटरसाइकिल से विजय मिश्रा के घर जाने का कथन किया है, जबकि पी०डब्लू०3 रामचन्द्र दूबे ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि घटना वाले दिन मेरी मुलाकात अनिल मिश्रा से विजय मिश्रा के घर पर हुयी थी, फिर कहा कि भाजपा कार्यालय सुलतानपुर में हुयी थी। भाजपा कार्यालय में अनिल मिश्रा से 11 बजे दिन में मुलाकात होने का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि भाजपा कार्यालय में अनिल मिश्रा मुझसे पहले से आकर बैठे थे, मेरे पहुँचने के आधा-पौने घण्टे बाद बैठक खत्म हुयी थी। बैठक खत्म होने के बाद वह और अनिल मिश्रा परिवादी के घर भाजपा कार्यालय सुलतानपुर से आये। एक ही मोटरसाइकिल पर वह और अनिल मिश्रा परिवादी के घर आये। भाजपा कार्यालय से परिवादी के घर आने में आधा-पौन घण्टा लगा होगा। बीच में कहीं नहीं रुके।

46- इस प्रकार स्पष्ट है कि गवाहों द्वारा उक्त बिन्दु पर दिये गये बयानों में तात्विक विरोधाभास है। पी०डब्लू० 2 अनिल मिश्रा ने जिरह में पी०डब्लू० 3 रामचन्द्र से लोहरामऊ में 10.30 बजे मुलाकात होने तथा अपने-अपने मोटरसाइकिल से परिवादी के घर जाने का कथन किया है, जबकि पी०डब्लू० 3 ने इसके विरोधाभासी कथन किया है। इसके अतिरिक्त, पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 3 ने अपनी जिरह में न्यायालय में इस परिवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई भी बयान देने से इंकार किया है, जबकि इनका बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अंकित कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू० 3 ने अपनी जिरह में एक जगह यह कथन किया है कि यह सही है कि दिनेश व अनुरुद्ध ने मोबाइल नहीं दिखाया था तथा 15.07.2018 के पूर्व हम लोगों को इस वीडियो के बारे में तथा उसमें अभिकथित बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अग्रेतर जिरह के दौरान विजय मिश्रा के घर के अन्दर कमरे में वीडियो दिखाने का कथन किया। उपरोक्त गवाह यह भी निश्चितता के साथ बताने में असमर्थ रहा है कि दिनेश व अनुरुद्ध में से किसने वीडियो दिखाया था। पी०डब्लू० 2 ने जिरह में स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थता व्यक्त की है, बल्कि दिनेश व अनुरुद्ध दोनों द्वारा वीडियो दिखाने का कथन किया है। यह तथ्य भी विश्वसनीय प्रकट नहीं हो रहा है।

47- परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का सादर परिशीलन किया गया। उपरोक्त विधि व्यवस्था के तथ्यों में एवं प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों में तथ्यात्मक भिन्नता है, जिसके कारण परिवादी को उक्त विधि व्यवस्थाओं का लाभ इस स्तर पर नहीं मिल सकता।

48- उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, परिवाद कथानक को समग्रता से देखने पर परिवाद पत्र में जिस प्रकार से तथ्यों/घटनाक्रम का वर्णन किया गया है, वह प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध, अवास्तविक एवं असम्पुष्ट तथा राजनैतिक या अन्यथा उद्देश्य से प्रेरित होकर, ऐन-केन प्रकारेण, परिवाद प्रस्तुत करने के उद्देश्य मात्र से किया जाना प्रकट हो रहा है, जो विधि की मंशा के सर्वथा प्रतिकूल है।

49- उपरोक्त विवेचना में प्रेक्षित निष्कर्षों के दृष्टिगत, न्यायालय की राय में प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी न तो व्यथित व्यक्ति है और न ही किसी ऐसे निश्चित एवं पहचान योग्य वर्ग या व्यक्तियों के समूह का सदस्य है, जिसके बावत् किये गये लांछन का सम्बन्ध परिवादी से स्थापित किया जा सके और न ही अभिकथित वक्तव्य, प्रस्तुत प्रकरण की विशिष्ट विधिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत प्रथमदृष्ट्या मानहानिकारक है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त राहुल गाँधी लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-500 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त प्रेक्षणों के प्रकाश में, अभियुक्त राहुल गाँधी को लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-500 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है। अभियुक्त का जमानत बन्ध पत्र अंतर्गत धारा-437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह तक प्रभावी रहेगा तथा उसके पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

Sd/-

(शुभम वर्मा)

दिनांक-26.10.2026

अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
एम०पी०/एम०एल०ए०
कक्ष संख्या-19, सुलतानपुर।
(J.O.Code-U.P.2106)

उक्त आदेश व निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(शुभम वर्मा)

दिनांक-26.10.2026

अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
एम०पी०/एम०एल०ए०
कक्ष संख्या-19, सुलतानपुर।
(J.O.Code-U.P.2106)

(विकास मिश्र / स्टैनो)